

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 672] No. 672] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 3, 2017/श्रावण 12, 1939 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2017/SRAVANA 12, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 988(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश, 2017 के लिए निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ,- (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश, 2017 के परिनियम है।
 - (2) ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश को लागू होंगे।
 - (3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं- (1) इन परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों-
 - (क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम,2007 (2009 का 27) अभिप्रेत है;
 - (ख) किसी संस्थान के संबंध में "प्राधिकारियों", "अधिकारियों" और "संकाय संदस्यों" से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय सदस्य अभिप्रेत हैं;
 - (ग) "बोर्ड" से संस्थान का शासक बोर्ड अभिप्रेत है;

4711 GI/2017 (1)

- (घ) "निर्माण और संकर्म समिति" से परिनियम संख्या 12 के अधीन गठित संस्थान की निर्माण और संकर्म समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "परिषद" से संस्थानों की परिषद अभिप्रत है;
- (च) ''केंद्र'' से साधारणत: अंतर विषयक प्रकृति के शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे अध्यापन, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;
- (छ) "विभाग' से साधारणत: किसी विशिष्ट विद्या या क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;
- (ज) "वित्त समिति" के परिनियम 10 के अधीन गठित संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (झ) "विभाग या केंद्र का प्रमुख" से, जो किसी भी नाम से ज्ञात हों, परिनियम 20 के अधीन, यथास्थिति, विभाग या केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (ञ) ''कार्यक्रम'' से संस्थान का कोई शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;
- (ट) "नियम" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है;
- (ठ) "अनुसूची" के इन परिनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- 3. प्राधिकारी- संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्
 - i. शासी बोर्ड, जो अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित किया जाए;
 - ii. सिनेट, जो अधिनियम की धारा 14 के अधीन गठित की जाए;
 - iii. वित्त समिति, जो परिनियम 10 के अधीन गठित की जाए; और
 - iv. निर्माण और संकर्म समिति, जो परिनियम 12 के अधीन गठित की जाए।
- 4. शासी बोर्ड और उसके अधिवेशन- (1) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित करने के लिए हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे आमंत्रण रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए हों, आठ सप्ताह से अनिधिक की अविध के भीतर ऐसा करने के लिए उसके द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।
 - (2) बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियां उप परिनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को अपनाते हुए भरी जाएंगी।
 - (3) बोर्ड साधारणत: एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चार बार अधिवेशन करेगा।
 - (4) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के चार से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाए जाएंगे।
 - (5) बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति छह सदस्यों से होगी:

परंतु यदि अधिवेशन गणपुर्ति में अभाव के कारण स्थगित होता है तो वह आगामी सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर या ऐसे अन्य दिन, समय या स्थान पर, जैसा अध्यक्ष अवधारित करे, होगा और यदि ऐसे किसी अधिवेशन में गणपूर्ति, अधिवेशन बुलाए जाने के लिए अनुसूचित समय से आधे घंटे के भीतर नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य से गणपूर्ति होगी।

- (6) बोर्ड के अधिवेशनों में विचार किए गए सभी प्रश्न अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत विनिश्चित किए जाएंगे और यदि मत समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तो अध्यक्ष निर्णायक मत रखेगा।
- (7) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है तो, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा:

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को चयन करेंगे।

(8) प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना, रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्येक सदस्य को, उसमें अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय वर्णित करते हुए अधिवेशन की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व, भेजी जाएगी;

परंतु अध्यक्ष, अत्यावश्यक मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा।

- (9) सूचना को बोर्ड के कार्यालय में यथा अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर, दस्ती परिदत्त की जा सकेगीया पंजीकृत डाक द्वारा या ई-मेल अथवा फैक्स द्वारा भेजी जा सकेगी और इस प्रकार भेजी गई सूचना को उस समय सम्यक् रूप से परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसका सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त की गई होती।
- (10) कार्यसूची अधिवेशन से कम से कम दस दिन पूर्व सभी सदस्यों को रजिस्ट्रार द्वारा परिचालित की जाएगी।
- (11) कार्यसूची में किसी मद को सम्मलित करने के लिए प्रस्ताव सूचना अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कुल सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए;

पंरतु अध्यक्ष ऐसी किसी मद के, जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सिम्मिलित किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा।

- (12) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।
- (13) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे और उनको प्रस्तावित किसी संशोधन के साथ पुष्टिकरण के लिए बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसके समक्षरखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और अध्यख द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा।
- (14) कार्यवृत्त पुस्तक को कार्यालय समय के दौरान सभी समय पर बोर्ड और परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।
- (15) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थिति इजाजत के बिना लगातार तीन अधिवेशनों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

- (16) वित्त से संबंधित कोई विषय बोर्ड के समक्ष जब तक रखा जाएगा जब तक उस पर वित्त समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो।
- (17) कोई ऐसा विषय, जिस पर निर्माण और संकर्म समिति द्वारा पहले विचार किया जाना चाहिए, बोर्ड के समक्ष तक तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उस पर बोर्ड का प्रशासनिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् निर्माण और संकर्म समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो।
- 5. बोर्ड की शक्तियां- अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के अधीन उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड के निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा:
 - i. संस्थान में किसी पद की नाम पद्धति को उत्सादित करना, पुन: अभिहित या परिवर्तित करना;
 - ii. समय-समय पर कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमित से परिनियम बनाना, उन्हें उपांतरित या रद्द करनाः
 परंतु नए परिनियम, विद्यमान परिनियमों में जोड़ा जाना या उनमें संशोधन केवल कुलाध्यक्ष की सहमित के पश्चात लाग होंगे; और
 - iii. संस्थान की वित्त समिति या सिनेट की सिफारिश पर सभी या किन्हीं अध्यादेशों को इस शर्त के अधीन बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना कि ऐसा बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना अधिनियम और (या) परिनियमों के उल्लंघन में नहीं होगा।
- 6. बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणन- बोर्ड के सभी आदेशों और विनिश्चयों को इस निमित् बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा। निदेशक की अनुपस्थिति में कुल सचिव या किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- 7. सिनेट- (1) सिनेट, जब कभी आवश्यक हो, बुलाई जाएगी किंतु साधारणत: एक कलेंडर वर्ष के दौरान चार बार से कम नहीं बुलाई जाएगी।
 - (2) सिनेट के अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा या तो अपनी स्वप्नेरणा से या सिनेट के एक बटा पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर बुलाया जाएगा।
 - (3) अध्यपेक्षा अधिवेशन, कार्यसूची की केवल उन मदों पर, जिनके लिए अध्यपेक्षा दी गई है, विचार-विमर्श करने के लिए विशेष अधिवेशन होगा ओर उसकी आवश्यक रूप से निदेशक द्वारा सुविधाजनक तारीख और समय पर अध्यक्षता की जाएगी।
 - (4) सिनेटके कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से सिनेट के अधिवेशन की गुणपूर्ति होगी।
 - (5) निदेशक, सिनेट के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगाः

परंतु निदेशक की अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक तथा उप निदेशक, दोनों की अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक तथा उप निदेशक, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(6) कार्यसूची के साथ प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना अधिवेशन के कम से कम एक सप्ताह पूर्व सिनेट के सदस्यों को कुल-सचिव द्वारा परिचालित की जाएगीः

परंतु सिनेट का अध्यक्ष किसी ऐसी मद को, जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी गई है, सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

- (7) उप परिनियम (6) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, विशेष मामलों पर विचार करने के लिए अल्पसूचना पर सिनेट का कोई आपात अधिवेश्न बुला सकेगा।
- (8) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।
- (9) सिनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, शैक्षणिक संकाय (शैक्षणिक) अध्यक्ष के परामर्श से कुल सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सिनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे:

परंतु यदि सिनेट ऐसे परिचालन को संस्थान या भारत सरकार को हितों के प्रतिकूल समझता है तो ऐसा कोई कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा।

- (10) कार्यवृत्त प्रसतावित संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ सिनेट के आगामी अधिवेशन में पुष्टिकरण के लिए रखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और सिनेट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा, जो कार्यालय समय के दौरान सभी समय पर सिनेट के सदस्यों, बोर्ड और परिषद् के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।
- 8. सिनेट की शक्तियां: अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेट को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-
 - (i) विभिन्न विभागों और केंद्रों के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययनों हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण को विरचित और पुनर्विलोकित करना:
 - (ii) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना, परीक्षाओं, अनुसीमकों, सारणीकारों की नियुक्ति करना और परीक्षाओं से संबंधित अन्य विषय;
 - (iii) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या उपाधियों को प्रदान या अनुदान करने से संबंधित बोर्ड को सिफारिशें करना;
 - (iv) विभागों या केंद्रों के कार्य से संबद्ध शैक्षणिक विषयों पर सिफारिशें करने के लिए संस्थान के विभागों या केंद्रों के लिए सलाहकार समितियां या विशेषज्ञ समितियां या दोनों की नियुक्तियां करना:
 - (v) ऐसे विनिर्दिष्ट तथा महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों पर, जो सिनेट द्वारा किसी ऐसी सिमिति को निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर से विशेषज्ञों में से सिमितियां नियुक्त करना;
 - (vi) विभिन्न विभागों और केंद्रों से संलग्न सलाहकार समितियों और उनकी विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा ऐसी कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मलित है), जो प्रत्येक मामले में आवश्यक समझी जाए;
 - (vii) विभागों या केंद्रों के क्रियाकलाप का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मिलित है);
 - (viii) संस्थान के पुस्तकालय के कार्य का अधीक्षण करना;

- (ix) संस्थान के भीतर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास या क्रियाकलाप का संवर्द्धन करना और उनमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधान या शैक्षणिक विकास या कार्रवाई पर रिपोर्टें मांगना;
- (x) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और आवासिक छात्रावासों के निरीक्षण के लिए उपबंध करना;
- (xi) संस्थान के छात्रों की सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों को योजना करना;
- (xii) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और ऐसी शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार देना, जो पुरस्कारों से संलग्न की जाएं;
- (xiii) विभागों या कार्यक्रमों या केंद्रों के सृजन या पुन:संरचना और विद्यमान विभागों या उनके केंद्रों की समाप्ति के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना:
- (xiv) राज्य या देश के विभिन्न भागों या देश के बाहर दूरस्थ शिक्षण रीति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना; और
- (xv) सिनेट के अधिवेशन में नीति या अनुशासनिक विषयों से असंबद्ध सामान्य प्रकृति के विचार-विमर्श के दौरान दो छात्र प्रतिनिधियों तक को आमंत्रित करना।
- 9. सिनेट के अध्यक्ष का आपात स्थिति में शक्तियों का प्रयोग किया जाना- यदि सिनेट के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई हैं, जिसमें तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई, जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगा और सिनेट के अगले अधिवेशन में उसके अनुमोदन के लिए उसकी रिपोर्ट करेगा।
- 10. वित्त सिमिति- (1) प्रत्येक संस्थान के लिए एक वित्त सिमिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-
 - (i) शासी बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष;
 - (ii) निदेशक, पदेन सदस्य;
 - (iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से व्यवहार करने वाला संयुक्त सचिव या उसका नाम निर्देशितों और वित्त सलाहकार (मानव संसाधन विकास) या उसके नामनिर्देशिती सदस्य;
 - (iv) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति; और
 - (v) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिवः

 परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से एक सदस्य को जब कभी

 आवश्यक पाता है, सहयोजित कर सकेगा।
 - (2) सभी वित्तीय प्रस्तावों को विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।
 - (3) वित्त समिति, अधिमानत: शासी बोर्ड के अधिवेशन से पूर्व एक वर्ष में साणारणत: चार बार अधिवेशन करेगी।
 - (4) वित्त समिति के चार सदस्यों से वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति होगी।

- (5) अध्यक्ष, वित्त समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (6) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशनों को लागू इन प्रथम परिनियमों के उपबंध, वित्त समिति के अधिवेशन के संबंध में यथासाध्य अनुसरित किए जा सकेंगे।
- (7) वित्त समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्तों की एक प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।
- 11. वित्त समिति की शक्तियां- वित्त समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी:-
 - (i) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की परीक्षा और संवीक्षा करना तथा बोर्ड को सिफारिशें करना: और
 - (ii) बोर्ड को या तो बोर्ड या निदेशक की पहल पर या स्वेच्छा से संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर अपने विचार देना और अपनी सिफारिशें करना।
- 12. निर्माण और संकर्म समिति- प्रत्येक संस्थान के लिए एक निर्माण और संकर्म समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-
 - (i) निदेशक, पदेन अध्यक्ष;
 - (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो:
 - (iii) शासी बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;
 - (iv) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिव;
 - (v) संकायाध्यक्ष, योजना और विकास या समान स्थिति पर-सदस्य; और
 - (vi) केंद्रीय या राज्य सरकार या प्रख्यात स्वायत्त निकाय के सिविल या इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी खंड, प्रत्येक से एक सदस्य- सदस्य।
 - (2) निर्माण और संकर्म समिति, जितनी बार आवश्यक हो, अधिवेशन करेंगी, किंतु साधारणत: एक वर्ष में चार बार से कम नहीं होगी।
 - (3) निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।
 - (4) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशन को लागू इन परिनियमों के उपबंध, निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशनों के संबंध में यथासाध्य अनुसरित किए जाएंगे।
 - (5) निर्माण और संकर्म समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।
- 13. निर्माण और संकर्म समिति की शक्तियां और कृत्य- (1) निर्माण और संकर्म समिति-
 - (i) बोर्ड के निदेशों के अधीन बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी के पश्चात् सभी प्रमुख कार्यों का सन्निर्माण कराएगी;

- (ii) संस्थान के अनुमोदित बजट उपबंधों के भीतर लघु कार्यों और मरम्मत और अनुरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने की शक्ति होगी:
- (iii) परंतु लघु कार्य एवं लघु मरम्मत तथा अनुरक्षण की बोर्ड मात्रा या व्यय के अर्थों में परिभाषित करेगा।
- (iv) भवनों की लागत और अन्य पूंजीगत कार्य लघु कार्य, मरम्मत, अनुरक्षण और इसी प्रकार के कार्यों की लागत का प्राक्कलन तैयार करवाएगी। निर्माण और संकर्म समिति लघु कार्य, मरम्मत और अनुरक्षण के लागत व्यय को अनुमोदित करेगी।
- (v) डिजाइन की तकनीकी संवीक्षा करने प्राक्कथनों और सामग्री के विनिर्देशोंको, जो आवश्यक समझें जाएं, बनाने के लिए उत्तरदायी होगी;
- (vi) उपयुक्त ठेकेदारों की भर्ती और निविदों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी तथा जहां आवश्यक हो संस्थान के संकाय (योजना और विकास) द्वारा सम्यक सिफारिश विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी;
- (vii) को टेंडर के अंतर्गत नहीं आने वाली दरों को तय करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों को तय करने की शक्ति होगी।
- (2) यदि, निर्माण और संकर्म समिति के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे तुरंत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा और निर्माण और संकर्म समिति तथा बोर्ड को उनके अगले अधिवेशन में उसकी रिपोर्ट देगा।
- (3) निर्माण और संकर्म समिति ऐसे कृत्य का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपी जाएं।
- **14.** अध्यक्ष, शासी बोर्ड की शक्तियां- अधिनियम के अधीन उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त, शासी बोर्ड के अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियां होंगी-
 - (i) वह चयन समिति की सिफारिश पर चयन समिति अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पदों के संबंध में, जिन पर बोर्ड द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं, वेतनमान के न्यूनतम स्तर से उच्चतर स्तर पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को नियत करने की शक्ति रखेगा:
 - (ii) संस्थान के निदेशक के सिवाय, कर्मचारी वृंद को प्रशिक्षण के लिए या प्रशिक्षण के अनुक्रम के लिए भेजने की शक्ति रखेगा। निदेशक द्वारा भारत से बाहर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
 - (iii) वह केंद्रीय सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक के बची सेवा संविदा को निष्पादित करेगा, किंतु वह ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के लिए दायी व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा; और
 - (iv) आपात मामलों में उसके द्वारा पुष्टिकरण और अनुसमर्थन के लिए की गई कार्रवाई से बोर्ड को सूचित करेगा।
- 15. संस्थान के प्राधिकारी सदस्यों के यात्रा भत्ते:- अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन गठित या बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्य और संस्थान के अन्य प्राधिकारी तथा सिमितियों

के सदस्य प्राधिकरणों और उनकी समितियों के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता और बैठक फीस के लिए हकदार होंगे।

- 16. विभाग और केंद्र- संस्थान उतने विभाग और केंद्र ऐसे नामों से, जैसा बोर्ड द्वारा सिनेट की सिफारिशों पर, समय-समय पर, बजटीय उपबंधों के भीतर अनुमोदित करे, संगठित किए जाएंगे।
- 17. निदेशक और उसकी शक्तियां- (1) संस्थान का निदेशक, कुलाध्यक्ष द्वारा, संविदा आधार पर, उसके द्वारा गठित की गई खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। परिषद् का अध्यक्ष इसका अध्यक्ष होगा और उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका प्रतिनिधि इसका सदस्य होगा, इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव रखने वाले तीन विशेषज्ञ होंगे।
 - (2) निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में संस्थान तथा निदेशक के बीच में किए गए सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
 - (3) विनिर्दिष्ट प्रयोजनके लिए बनाए गए बजट उपबंधों के अधीन रहते हुए, निदेशक ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाए, व्यय उपगत करने की शक्ति रखेगा।
 - (4) निदेशक, प्रत्येक मद के लिए केंद्रीय सरकार में विभाग के प्रमुख के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक आवर्ती बजट नियत करते हुए विभिन्न मदों के संबंध में निधियों का विनियोग करने की शक्ति रखेगा:

परंतु ऐसे विनियोग में आगामी वर्षों में, बजट में कोई वृद्धि और कोई दायित्व अंतर्विल्लत नहीं करेगा:

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक विनियोग यथाशीघ्र बोर्डकी रिपोर्ट किया जाएगा।

- (5) निदेशक, ऐसे अनुबंधों के जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए जाए अधीन रहते हुए दस हजार रूपए की सीमा तक के अप्रतिसंह्रणीय नुकसान को और पच्चीस हजार रूपए की सीमा तक सामान्य टूट-फूट या अप्रयुक्त होने के कारण खोई हुई या सेवा के अयोग्य होने वाली भंडार की वस्तुओं के अवसूलीय मूल्य को अपलिखित करने की शक्ति रखेगा।
- (6) निदेशक, ऐसे बेकार उपस्करों या भंडार की वस्तुओं को, जो निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई किसी समिति द्वारा पहचान की जाएं, संस्थान के समीप में किसी शैक्षणिकसंस्थान को, उस सीमा तक, जो समय-समय पर बोर्डद्वारा विनिश्चित की जाए, संदान देने की शक्ति रखेगा।
- (7) निदेशक, जहां वह नियुक्ति प्राधिकारी है, चयन समिति की सिफारिशों पर इस अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंध द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की गई नियुक्तियों के पदों के संबंध में, न्यूनतम वेतनमान से उच्चतर क्रम पर किसी पदाधारी के प्रारंभिक वेतन को, किंतु पांच वेतनवृद्धियों से अधिक अंतर्वलितनहो, नियत करने की शक्ति रखेगा।
- (8) निदेशक, एक वर्ष से अनिधक के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाए, समय-समय पर आकस्मिकता के लिए संदत प्रयोगशालाओं में अध्यापन सहायक कर्मचारिवृंद तकनीकी व्यक्तियों या तकनीकी अनुदेशकों और कुशल कर्मकारों का नियोजन करने की शक्ति रखेगा।

- (9) निदेशक, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, भारत में कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने या प्रशिक्षण के अनुक्रम में उपस्थित होने के लिए भेजने की शक्ति रखेगा।
- (10) निदेशक, किसी भवन को किसी ऐसे प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उसका सननिर्माण किया गया था, अस्थायी आबंटन को मंजूर करने की शक्ति रखेगा।
- (11) यदि कुल सचिव किसी कारण से एक मास से अनिधक की अविध के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित है तो निदेशक कुल-सचिव के किन्हीं कृत्यों को, जैसा वह ठीक समझे, अभिग्रहण कर सकेगा या संस्थान के किसी संकाय सदस्य या कर्मचारी को समनुदेशित कर सकेगा:

परंतु यदि किसी समय कुल सचिव की अस्थायी अनुपस्थिति एक मास से अधिक होती है तो बोर्ड, यदि ठीक समझता है, निदेशक को एक मास से अधिक की अविध के लिए कुल सचिव के कृत्य अभिग्रहण करने या समनुदेशित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

- (12) संस्थान और निदेशक के बीच की संविदा के सिवाय, संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं इस निमित पारित बोर्ड के संकल्प द्वारा लिखित में प्राधिकृत की जाएंगी और संस्थान के नाम में अभिव्यक्त करते हुए की जाएंगी तथा ऐसी प्रत्येक संविदा निदेशक द्वारा संस्थान की ओर से निष्पादित की जाएंगी किंतु निदेशक ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।
- (13) निदेशक, मुख्यालयों से अपनी अनुपस्थिति के दौरान विशेष रूप से उप निदेशक को या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित संकाय अध्यक्षों या ज्येष्ठतम आचार्यों में से एक को कर्मचारिवृंदों का यात्रा भत्ता, आकस्मिकता और चिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम मंजूरी देने को तथा इस निमित्त बिलों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षरकरने के लिए लिखितमें प्राधिकृत कर सकेगा।
- (14) निदेशक, स्वविवेकानुसार से ऐसी समितियां, जो वह संस्थान के कृत्यों को सुचारूप से से चलाने के लिए समुचित समझे, गठित कर सकेगा।
- (15) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से हुई किसी रिक्ति की दशा में या अध्यक्ष के उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ होने की दशा में निदेशक, अधिनियम की धारा 16 के अधीन अध्यक्ष को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।
- (16) निदेशक, अधिनियम और परिनियमों के आधार पर उसमें निहित की गई उसकी किसी शक्ति, प्राधिकार या उत्तरदायित्व को बोर्ड के अनुमोदन से संस्थान के एक या अधिकशैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के को प्रत्यायोजित कर सकेगा।
- (17) निदेशक के लिए अनुशासनिक शक्ति समय-समय पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश के शासी बोर्ड द्वारा तय की जाएगी।
- 18. उप निदेशक- (1) उप निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा एआईटी आंध्र प्रदेश की परिनियमों के परिनियम 23(5)(क) के तहत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।
 - (2) ऐसी नियुक्ति प्रारंभिक रूप से तीन वर्ष की अवधिके लिए की जाएगी जो बोर्ड की सिफारिश पर दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी।

- (3) उप निदेशक, अनुसूची (ख) में विनिर्दिष्ट प्रारूप में संस्थान और उप निदेशक के बीच हुए सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
- (4) उप निदेशक, संस्थान के निदेशक के पद पर रिक्ति के दौरान निदेशक की सभी शक्तियां रखेगा।
- (5) उप निदेशक, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों तथा उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के अन्य संस्थानों सिहत तथा औद्योगिकी उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी संपर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा।
- 19. **संकायाध्यक्ष-** (1) संस्थान, छह से अधिक संकायाध्यक्षता स्थापित नहीं करेगा।
 - (2) निदेशक, अध्यक्ष, शासी बोर्ड को सूचना से ही संकायध्यक्षों की नियुक्ति करेगा।
 - (3) संकायाध्यक्ष अपने पद को दो वर्षों के लिए धारित करेगा जिसको एक वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।
 - (4) केवल आचार्य या सहयुक्त आचार्य, संकायाध्यक्ष होने के लिए पात्र होंगे।
 - (5) संकायध्यक्षों के बोर्ड कृत्य अनुसूची 'ग में प्रगणित किए गए हैं।
- 20. विभाग या केंद्र के प्रमुख- (1) संस्थान का प्रत्येक विभाग या केंद्र ऐसे प्रमुख के प्रभारमें होगा जिसका निदेशक द्वारा उस विभाग या केंद्र के आचार्यों और सहयुक्त आचार्यों में से चयन किया जाएगाः

परंतु यदि किसी विभाग या केंद्र में कोई आचार्य या सहयुक्त आचार्य नहीं है तो निदेशक उस विभाग या केंद्र के किसी सहायक आचार्य को विभाग या केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

- (2) विभाग या केंद्र का प्रमुख अपने पद को दो वर्ष की अवधि के लिए धारित करेगाः
 - परंतु अपने पद की अवधि समाप्ति के पश्चात् वह अपने उत्तरवर्ती की नियुक्ति तक पद पर बना रहेगा:
 - परंतु यह और कि कोई व्यक्ति किसी विभागया केंद्र का लगातार तीन वर्ष से अधिक की अविध के लिए प्रमुख नहीं होगा जब तक वह कम से कम द्वितीय अविध के लिए विशेष रूप से नियुक्त न किया गया हो।
- (3) निदेशक छह मास से अनधिक की अवधि के लिए किसी विभाग का अस्थायी प्रभार स्वयं ले सकेगा या किसी अन्य विभाग के उपनिदेशक या किसी आचार्य के प्रभार के अधीन रख सकेगा।
- (4) विभाग का प्रमुख, निदेशक के साधारण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए विभाग के संपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।
- (5) विभाग का प्रमुख यह देखने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा कि संस्थान के प्राधिकरणों के और निदेशक के विनिश्चय निष्ठापूर्वक लागू किए जा रहे हैं। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालने करेगा जो उसको निदेशक या द्वारा समनुदेशित किए जाए।
- (6) जब विभाग या केंद्र के प्रमुख के पद पर नियुक्ति सम्यक हो तब निदेशक इस प्रकार नियुक्त होने के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों की रजामंदी सुनिश्चित करेगा और साधारणत: पात्रतथा रजामंद व्यक्तियों में से चक्रानुक्रम द्वारा किसी व्यक्ति का चयन करेगा।
- (7) जब कभी चक्रानुक्रम के सिद्धांत से विचलित होना प्रस्तावित हो तब ऐसी नियुक्ति केवल अध्यक्ष, शासी बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से की जाएगी तथा सिनेट और

बोर्ड के आगामी अधिवेशनों में विचलन के कारणों सहित सिनेट और बोर्ड को रिपोर्ट भी किया जाएगा।

- **21. कुल-सचिव:-** (1) कुल-सचिव, प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर पांच वर्ष से अनिधक की किसी नियत अविध के लिए नियुक्त होगा।
 - (2) कुल-सचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के जिसके लिए वह इस प्रकार कार्य करने को परिनियमों द्वारा अपेक्षित किया जा सकेगा. सचिव के रूप में कार्य करेगा।
 - (3) बोर्ड द्वारा गठित समिति द्वारा एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर कुल सचिव के निष्पादन की समीक्षा की जाए।
- 22. कर्मचारी वृंदों का वर्गीकरण:- (1) आकस्मिक व्यय से संदत्त कर्मचारियों के मामले के सिवाय, संस्थान के कर्मचारिवृंद निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे :-
 - (i) शैक्षणिक कर्मचारी वृंद: निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद जो समय-समय पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद द्वारा 'विनिश्चित किए' जाएं और बोर्ड द्वारा अपनाए जाएं।
 - (ii) तकनीकी कर्मचारी: प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, वैज्ञानिक अधिकारी, प्रमुख तकनीकी अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, तकनीकी अधिकारी, अधीक्षक इंजीनियर, वरिष्ठ कार्यपालक इंजीनियर, कार्यपालक इंजीनियर, कनिष्ठ इंजीनियर, सहायक इंजीनियर, तकनीकी सहायक, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, तकनीशियन, वरिष्ठ कार्य सहायक, कार्य सहायक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला सहायक ऐसे अन्य तकनीकी कर्मचारी वृंद जिन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं और बोर्ड द्वारा अपनाया जाए।
 - (iii) प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी वृंद : कुल सचिव, उप कुल सचिव और सहायक कुल सचिव, पुस्तकालयाध्यक्ष सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रमुख एसएएस अधिकारी, वरिष्ठ एसएएस अधिकारी, एसएएस अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, सहायक अधीक्षक, वरिष्ठ लेखापाल, लेखापाल, वरिष्ठ अधीक्षक, आशुलिपिक, वरिष्ठ आशुलिपिक, सचिव, वरिष्ठ सचिव, फार्मासिस्ट, वरिष्ठ फार्मासिस्ट, सहायक कर्मचारी वृंद तथा अन्य ऐसे प्रशासनिक और अन्य कर्मचारी वृंद जिन्हें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए और बोर्ड द्वारा अपनाया जाए।
 - (2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में वर्गीकृतपद केवल दीर्घावकाश पद होंगे।
- 23. नियुक्तियां: (1) संस्थान के पद अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे :

परंतु निदेशक या उप निदेशक के पदों से भिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती या प्रोन्नति वाले पदों के बीच अनुपात भर्ती नियमों के अनुसार होगा।

(2) पदों का आरक्षण केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होगा।

अध्यक्ष

- (3) संस्थान में नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित या केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियम, लागू होंगे।
- (4) संस्थान के कर्मचारिवृंदों में से विज्ञान द्वारा या प्रोन्नित द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार पर पदों से भिन्न) भरने के लिए चयन सिमितियों का ऐसी रीति से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाए, गठन किया जाएगा।
- (5) संस्थान के कर्मचारिवृंदों में से विज्ञापन द्वारा या प्रोन्नित द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार से भिन्न) भरने के लिए चयन समितियों का निम्निलिखित रीति से गठन किया जाएगा, अर्थात्:-
 - (क) शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति की अर्हता और अन्य नियम और शर्ते (निदेशक को छोड़कर) या प्रोन्नति अनुसूची 'ड.' में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी और शैक्षिक कर्मचारी वृंद (निदेशक को छोड़कर) की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्::-

	1.	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
	2.	कुलाध्यक्ष का नाम निर्देशिती	-	सदस्य
	3.	बोर्ड के दो नाम निर्देशिती जिसमें एक विशेषज्ञ होगा किंतु बोर्ड के सदस्य से भिन्न	-	सदस्य
	4.	संस्थान से बाहर का सिनेट का एक विशेषज्ञ नामनिर्देशिती	-	सदस्य
	5.	संबद्घ विभाग का प्रमुख (आचार्य के पद से भिन्न के लिए)	-	सदस्य
(ख)	तकनीकी	पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी –		
	1.	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
	2.	संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
	3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती	-	सदस्य
	4.	संबद्ध विभाग का प्रमुख	-	सदस्य
	5.	कुल सचिव	-	सदस्य
(ग)	प्रशासनि	क और अनुसचिवीय कर्मचारीवृंद के लिए चयन र्सा	मेति निम्न प्रक	ार होगी :
	1.	निदेशक या उप निदेशक	-	अध्यक्ष
	2.	संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ	-	सदस्य
	3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती	-	सदस्य
	4.	कुल सचिव	-	सदस्य
(ঘ)	ज्येष्ठ प्रश	पासनिक और प्रध्यापक तथा उससे ऊपर के वेतन	मान वाले अन्य	सदृश्य पदों के

लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी : 1 निदेशक या उप निदेशक

- संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ सदस्य
 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम सदस्य निर्देशिती
 बोर्ड का नामनिर्देशिती सदस्य
 कुल सचिव सदस्य
- (6) यदि चयन, कुल सचिव या समतुल्य पद के लिए किया जाता है तो बोर्ड चयन समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को, नाम निर्देशित करेगा और कुल सचिव उसमें सदस्य के रूप में भाग नहीं लेगा।
- (7) जहां कोई पद संविदा आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है वहां बोर्ड ऐसी तदर्भ चयन समिति जैसी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, गठित कर सकेगा।
- (8) जहां किसी पद को संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नित द्वारा या अस्थायी रूप से बारह मास से अनिधक की अविध के लिए भरा जाना है वहां उसके लिए प्रक्रिया वैसी होगी जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।
- (9) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड विभाग (विभागों) या केंद्र (केंद्रो) की अत्यावश्यकता के लिए उचित विशेष कौशल या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा।
- (10) यदि पद को विज्ञापन द्वारा भरा जाना है तो कुल सचिव पद के निबंधन और शर्तों को विज्ञापित करेगा तथा पात्र और सर्वाधिक वांछनीय अभ्यर्थियों को चयनित सूची के प्रयोजन के लिए छा-बीन सिमिति विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का अनुवेक्षण करेगी।
- (11) साक्षात्कार के समय चयन समिति ऐसे सभी अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं प्रत्यायकों की परीक्षा करेगी, पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी और सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए करेगी।
- (12) चयन समिति की सिफारिशें साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए विधिमान्य रहेंगी और यदि सिफारिशें किसी कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं यो नियुक्ति आदेश सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष की उक्त अविध के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं तो सिफारिशें समाप्त हो जाएंगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।
- (13) किसी चयन समिति का कोई कार्य या प्रक्रिया केवल चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी।
- (14) जब तक कि इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंध न किया जाए तब तक किसी पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति उस पद के संबंध में अपने कृत्यों का निवर्हन उस पद पर नियुक्ति किए जाने तक जारी रखेगी।
- (15) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियां बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसको रिपोर्ट की जाएंगी।
- (16) सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (ए.सी.पी) के अधीन प्रोन्नित के लिए पात्र कर्मचारियों के आवेदन किसी प्रोन्नित या उन्नयन के लिए सिफारिश किए जाने से पूर्व विभागीय प्रोन्नित सिमितियों द्वारा विचारित किए जाएंगे।
- (17) विभागीय प्रोन्नति समितियां निम्न प्रकार होंगी :-
 - 1. निदेशक या उप निदेशक अध्यक्ष
 - 2. संबद्घ विभाग का प्रमुख सदस्य

3. अन्य विभाग से विभाग का प्रमुख - सदस्य

4. कुल सचिव - सदस्य

24. स्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें :

संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे :-

(i) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियां एक वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर किए जाएंगे और परिवीक्षा अविध पूर्ण होने के पश्चात् कर्मचारी, अधिनियमों और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस मास की जिसमें उसने विहित अधिकतम आयु प्राप्त करता है, समाप्ति तक अपने पद पर बने रहने के लिए जारी रहेगी:

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, संस्थान के किसी कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि को ऐसी अवधियों के लिए जैसी वह ठीक समझे, विस्तारित करने की शक्ति रखेगा।

- अधिवर्षिता की आयु वैसी होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों और प्रवर्गों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।
- (iii) संस्थान के कर्मचारी, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय वेतन के अतिरिक्त भत्तों के लिए हकदार होंगे।
- (iv) संस्थान के कर्मचारी, केंद्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार उनके और उनके कुटुंबों पर उपगत चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे।
- (v) संस्थान के कर्मचारी परिनियम 25 में उल्लिखित केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण), नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 द्वारा शासित होंगे।
- (vi) कर्मचारी, भारत सरकार द्वारा घोषित नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे।
- (vii) संस्थान के कर्मचारियों के आवेदन का संस्थान के बाहर नियोजन के लिए अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष में केवल तीन बार अग्रेषित किए जाएंगे।
- (viii) संस्थान के कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हकदार होंगे।
- (ix) अतिकालिक और रात्रि भत्ता, जैसा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय है के अनुसार संस्थान के पात्र कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा।
- 25. स्थायी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता:- कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्रत्येक द्वारा बनाई जाएगी और जब तक कर्मचारियों के लिए आचार संहिता तैयार की जाती है, संस्थान केंद्रीय सिविल सेवा (आचारण) नियम, 1964 और केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील), नियम, 1965 का पालन करेगा।

26. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें

- (1) अस्थायी कर्मचारियों के सेवाएं या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास की सूचना पर किसी भी समय समापन के अधीन होगी।
- (2) ऐसे कर्मचारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं।
- 27. संविदा पर नियुक्तियां:- (1) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमित से बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से अनिधिक की अविधि के लिए संविदा पर किसी विख्यात व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।
 - (2) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड किसी व्यक्ति को संविदा पर तीन वर्ष से अनिधक की अविध के लिए विहित वेतनमान में और सुसंगत पद के लिए लागू निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा।
 - (3) ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अध्यक्ष का शासक बोर्ड ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन करेगा जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो :

परंतु समिति के ऐसे गठन की पुष्टि के लिए बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी।

- 28. भविष्य निधि और पेंशन स्कीमें:- संस्थान के कर्मचारी केंद्रीय सरकार की नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे।
- 29. पदत्याग:- इन प्रथम परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संस्थान का कोई कर्मचारी पदत्याग कर सकेगा यदि :
 - (i) वह स्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल तीन मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर तीन मास के वेतन संदत्त द्वारा; और
 - (ii) वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल एक मास की सूचना देने के पश्चात या उसके स्थान पर एक मास के वेतन संदत्त द्वारा :

परंतु ऐसा पदत्याग केवल उस तारीख को जिसको त्यागपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, प्रभावी होगा।

- **30.** सेवा निवृत्ति:- (1) कोई कर्मचारी अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा।
 - (2) नियुक्ति प्राधिकारी को, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के उपबंध के अनुसार समयपूर्व सेवानिवृत्ति के रूप में अधिवर्षिता से पूर्व, कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकारी होगा।
 - (3) कोई कर्मचारी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक शैथिल्यता के कारण जो स्थायी रूप से उसको सेवा से असमर्थ करती है, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा, अर्थात्:-

- (i) कर्मचारी, अपना आवेदन रजिस्ट्रार को उचित माध्यम और प्रक्रिया से प्रस्तुत करेगा और एक चिकित्सीय प्रमाणपत्र,ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा;
- (ii) यदि चिकित्सा प्राधिकारी किसी निम्नतर पद के लिए आरोग्य प्रमाणपत्र प्रदान करता है तो कर्मचारी यदि इच्छुक है तो केवल ऐसे पद पर जो उपलब्ध है नियुक्त किया जा सकेगा; और
- (iii) स्वास्थ्य रिपोर्ट, सेवानिवृत्त की तारीख से पहले या सम्पाती होनी चाहिए।
- 31. अधिदाय: संस्थान के स्थायी कर्मचारी, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियोंको यथा संज्ञेय विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिदाय निकालने की सुविधा रखेंगे।
- 32. प्रतिनियुक्ति:- प्रतिनियुक्त, लोकहित में (अस्थायी स्थानांतरण) नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बाहर अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्तशासी निकायों में जिनमें पब्लिक सेक्टर के उपक्रम भी सम्मिलित है और भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय हैं।
- 33. निवास की जगह:- (1) संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी के केवल निवासीय उपयोग के लिए संस्थान के परिसर के भीतर एक असुसज्जित घर, यदि उपलब्ध होगा तो, आबंटित किया सकेगा जिसमें उससे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संस्थान के गृह आबंटन नियमों द्वारा अधिकथित की जाए, निवास करने की अपेक्षा जाएगी।
 - (2) संस्थान के ऐसे कर्मचारी से, जिसको निवासीय उपयोग के लिए घर आबंटित किया गया है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा नियत दर पर अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी।
 - (3) अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, जल, विद्युत और दी गई किसी अन्य सेवा के प्रभार, किसी कर्मचारी से वास्तविक आधार पर या ऐसी दरों पर जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, वसूल की जाएंगे।
 - (4) बोर्ड, यदि संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी प्रवर्ग के कर्मचारी को कोई अनुज्ञप्ति फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करते हुए सुसज्जित या असुसज्जित वास सुविधा आबंटित कर सकेगा।
- **34. छुट्टी:-** संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगी।
- **35. छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार:-** बोर्ड सिनेट की सिफारिश पर ऐसी छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार जो आवश्यक समझी जाएं, संस्थित कर सकेगा।
- 36. फीस:- संस्थान निम्नलिखित फीसें प्रभावित करेगा, अर्थातः-
 - (i) अध्यापन और अन्य फीस दो भागों में समाविष्ट होगी (क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिषद् द्वारा अवधारित फीस जो सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए सामान्य होगी और (ख) अन्य फीसें जो संबद्ध शासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएंगी।
 - (ii) अवधान राशि, छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं को अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के समय सुसंगत देयों की यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् प्रतिदेय होगी और जहां किसी प्रतिदाय का कोई

दावा अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के दो वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है वहां अवधान राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।

- (iii) ऐसी फीस रियायत आर छात्रवृत्तियां, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं।
- 37. **छात्रों के छात्रावास और छात्रनिवास**:- (1) प्रत्येक संस्थान एक आवासिक संस्थान होगा और सभी छात्र तथा अनुसंधानविद् इस प्रयोजन के लिए संस्थानों द्वारा निर्मित छात्रावासों और छात्र निवासों में निवास करेंगे:

परंतु आपवादिक दशा में कारणों को लेखबद्ध करके निदेशक किसी छात्र या विद्वान को अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ निवास करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु जहां की ऐसी अनुज्ञा किसी छात्र या विद्वान को दी गई है वहां यथास्थिति, ऐसा छात्र या विद्वान उसी प्रकार ऐसे सीट किराए के संदाय के लिए दायी होगा जैसा वह छात्रावास में निवास कर रहा होता तो वह सीट किराए के संदाय के लिए दायी होता।

- (2) छात्रावासों और छात्र निवासों का प्रत्येक निवासी इस प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा अधिकथित नियमों का पालन करेगा।
- (3) प्रत्येक छात्रावास या छात्र निवास के लिए एक वार्डन होगा और उतने सहायक वार्डन तथा अन्य कर्मचारी होंगे जितने समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (4) शैक्षणिक कर्मचारी वृन्दों को वार्डन और सहायक वार्डन के रूप में निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (5) वार्डन और सहायक वार्डन उस प्रकार के आवास गृह के समान ही जिसके लिए वे सामान्यतया हकदार हैं, किराया मुक्त असुसज्जित आवास गृह के लिए हकदार होंगे।
- (6) बोर्ड छात्रावासों और छात्रनिवासों के प्रबंध के लिए नियम अधिकथित करेगा।
- 38. सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना:- संस्थान, कतिपय असाधारण और प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रख्यात योगदान के लिए सम्मानिक उपाधियों को प्रदान कर सकेगाः

परंतु सम्मानार्थ उपाधियों को प्रदान करने के लिए सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुसूची 'क' [परिनियम 17 (2) देखें]

"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 (1) और परिनियम 17 (2) (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, कुलाध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के रूप में पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् कथित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का साक्षी है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं:-

- (1) इस सेवा करार के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पृष्टिकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थानों को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए करार के अधीन सेवा पर होगा:

परंतु यदि ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 70 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा उस वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 70 की आयु पूरी करता है दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।

- (3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और वह उक्त अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवा करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अविध के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अविध और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अविध के भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए......रुएए के वेतनमान में.....रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति व्यक्ति की अविध के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों।
- (6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों के, जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान में अभिदाय करेगा और साथ ही वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पृष्टिकृत कर्मचारियों को यथा लागू संस्थान के अभिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नियोजक होने और उसके द्वारा अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में, वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस एकत्रण के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम का अभिदायी बनेगा। उस दशा में, जहां नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थानों के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।
- (7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा

के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जिससे कि इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।

- (8) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैरप्रावकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।
- (9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति फीस रहित सुसज्जित कार्यालय-सह आवास का हकदार होगा।
- (10) नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।
- (11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर मानते हुए केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगाः

परंतु, नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

- (12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को प्रतिधारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।
- (13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा संस्थान द्वारा किसी भी समय इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलैंडर मास की लिखित सूचना देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा:

परंतु संस्थान सदैव इसमें उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संकाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलैंडर मास की लिखित नोटिस देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।

- (14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी और उसे उसकी सुविधानुसार उक्त विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।
- (15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त अधिनियम, या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और तद्धीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वरूप ऊपर लिखित तारीख को संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गयासाक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश"

अनुसूची 'ख' [परिनियम 18 (3) देखें] उपनिदेशक के पद के लिए सेवा संविदा

आज तारीख.....एक पक्षकार के रूप में.....(जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्त व्यक्ति कहा गया है) और दूसरे पिक्षकार के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) के अधीन नियमित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच किया गया सेवा के लिए करार।

"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) कि धारा 18 (3) और परिनियम 17(5) (राष्ट्रीय प्रौदियोगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, उप-निदेशक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे बोर्ड की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए दो बार विस्तारित की जा सकेगी और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् कथित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का साक्षी है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं:-

- (1) इस सेवा करार के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पृष्टकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थाओं को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति......तारीख (जो पदभार ग्रहण करने की तारीख है) से तीन वर्ष की अवधि के लिए जो वर्ष दर वर्ष आधार पर दो वर्ष के लिए विस्तारणीय है, करार के अधीन सेवा पर होगा। परंतु यदि ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा.....वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।
- (3) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक उप-निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निदेशक की रिपोर्ट करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन समझा जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अविध के दौरान सिवाय निलंबन की किसी अविध और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अविध के भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए......रुपए के वेतनमान में.....रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा बशर्ते यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्ति व्यक्ति की अविध के दौरान उसका वेतन और भक्ते वे होंगे, जो शासी बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाए। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हो।
- (6) इस संविदा के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार आर इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों के जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य

निधि-सह-उपदान में अभिदाय करेगा और साथ वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पृष्टिकृत कर्मचारियों को यथा-लागू संस्थान के अभिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वियोजक होने और उसके द्वारा अभीदायी भविष्य निधि-सह उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि-सह-पेंशन-सह-उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में वह परिनियमों के अधीन यथा-अनुज्ञेय इस प्रकार के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम की अभिदायी बनेगा। उस दशा में जहां नियुक्त कोई कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निध-सह-उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि-सह-उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थान के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अविध में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।

- (7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में जिन्हें संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह तत्समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जिससे कि इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।
- (8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी प्रावकाश कर्मचारियों को यथा-अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।
- (9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा यथा-स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति फीस रहित सुसज्जित वास सुविधा का हकदार होगा।
- (10) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा यथा-स्वीकृत रूप में संस्थान परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क रहित सुसज्जित वास सुविधा का हकदार होगा।
- (11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर नियुक्त मानते हुए केन्द्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भक्ते नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार की समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को यथा-अनुज्ञेय यात्रा भक्ते का संदाय किया जाएगाः

परंतु, नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसीक प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा।

- (12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।
- (13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा संस्थान द्वारा किसी भी समय इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलैंडर मास की लिखित सूचना देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगाः

परंतु संस्थान सदैव इसमें उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संकाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलैंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।

- (14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी सुविधानुसारविभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने के लिए उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी।
- (15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और तद्धीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वरूप ऊपर लिखित तारीख को संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में

उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया

.....साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में

निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश"

अनुसूची 'ग' [परिनियम 19(5) देखिए]

संकायाध्यक्षता

संस्थान में छह से अधिक संकायाध्यक्ष पद नहीं हो सकेंगे। शासी बोर्ड के अनुमोदन से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में निम्नलिखित संकायाध्यक्ष पद हो सकेंगेः

संकायाध्यक्ष शैक्षणिक

संकायाध्यक्ष योजना और विकास

संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण

संकायाध्यक्ष संकाय कल्याण

संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्श)

संकायाध्यक्ष पद कार्यत्मक पद है न कि प्रशासनिक पद और उसका इसकी उचित भावना से निर्वहन किया जाए। आचार्यों/सह आचार्यों में से ही संकायाध्यक्ष को निदेशक द्वारा नामनिर्देशित किया जाए किन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं होना चाहिए।

संकायाध्यक्ष पद का कार्यकाल साधारतया दो वर्ष का होगा जिसे एक और वर्ष के लिए विस्तारित जा सकेगा। किंतु निदेशक, अध्यक्ष शासी बोर्ड के अनुमोदन से ऐसी अविध से पूर्व किसी या सभी संकायाध्यक्षों को कार्यमुक्त कर सकेगा।

संकायाध्यक्षों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व

संकायाध्यक्षों को निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)

वह निदेशक को निम्नलिखित पर सलाह देगा/देगीः

- (क) छात्रों के प्रवेश तथा उनके नामांकन;
- (ख) शैक्षणिक कैलेंडर, समय सारणियों, पाठ्यक्रम कार्य तथा परीक्षाओं के लिए छात्रों का रजिस्ट्रीकरण, कक्षा कक्ष व्यवस्था तथा कक्षा कार्य के उचित संचालन के लिए सभी अन्य अपेक्षाओं को अंतिम रूप देना;

- (ग) कक्षा परीक्षणों को संचालित करना और सत्र के मूल्यांकनों को अंतिम रूप देने को समन्वित करना तथा समय पर परिणामों की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए;
- (घ) सभी प्रवर्गों के छात्रों के अद्यतन शैक्षणिक अभिलेखों के रखरखाव का पर्यवेक्षण ;
- (ड.) पाठ्य विवरण का प्रकाशन और वितरण;
- (च) सभी संस्थान स्तरीय शैक्षणिक निकायों की बैठकें आयोजित करना;
- (छ) छात्रों के लिए सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना;
- (ज) उन परीक्षाओं को संचालित करने की व्यवस्था करना जिन्हें संस्थान के विनियमों में अनुबंधित किए गए अनुसार संस्थान द्वारा संचालित किया जाना है;
- (झ) अनुसंधान के संचालन के लिए नीतियां बनाना और शासक बोर्ड/सिनेट के विनिश्चय को कार्यान्वित करके उएपयुक्त मानक बनाए रखने के लिए उपाय करना;
- (ञ) स्नातकोत्तर, पीएच.डी और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों के जिनमें शोध प्रबंध की परीक्षा भी सम्मिलित है, संचालन में सिनेट की नीति को निष्पादित करना;
- (ट) दीक्षांत समारोह के संचालन को समन्वित करना;
- (ठ) शिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बीओएसी द्वारा विचार किया जाएगा जिसके लिए संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) अर्थात् अध्यक्ष और यदि अनुमोदित किया जाता है उन्हें औपचारित अनुमोदन के लिए सिनेट को भेजा जाएगा।
- (ड) प्रायोजित प्रारंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रमों तथा अभ्यर्थियों के क्वालिटी सुधार कार्यक्रम को स्वीकार करना;
- (ढ) उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए प्रयास करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाने हेतु निदेशक को सुझाव देना।

2. संकायाध्यक्ष (योजना और विकास)

वह निदेशक को निम्नलिखत में सलाह देगा/देगी

- (क) संस्थागत क्रियाकलापों के विस्तार तथा विविधता की योजना और सिविल, वैद्युत, संकर्म, स्वच्छता, नेटवर्क प्रणाली, आदि से संबंधित योजना तथा प्राक्कलनों के प्रस्तुत किए जाने की सीमा तक सभी विकासात्मक प्रस्तावों को तैयार करना।
- (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य अभिकरणों को भेजे जाने वाली आवधिक रूप से अपेक्षित विभिन्न रिपोर्टों के संकलन के लिए अपेक्षित योजना एवं परियोजना संबंधी सभी आवश्यक सांख्यिकीय आंकडों का रखरखाव।
- (ग) वास्तविक लक्ष्यों को निगरानी करने तथा परियोजनाओं और परामर्श की बाबत निधियों का उपयोग तथा प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत कागज पत्रों को तैयार करना;
- (घ) नए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करने और इस संबंध में इस प्रयोजन के लिए संकाय सदस्यों और बाह्य विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करना;

- (ड.) संकिमणि और भवनों का अनुरक्षण कार्य, सड़कों, जल प्रदाय स्वच्छता, लॉन उद्यान, संसूचना नेटवर्क, वाटर कूलर, वातानुकूलित, टेलीफोन आदि के अधीक्षण में निदेशक को सहायता देना;
- (च) अनौपचारिक तथा सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उनके संचालन को सम्नवित करना;
- (छ) परियोनजाओं तथा परीक्षण एवं परामर्श संबंधी उपस्करों के उपापन के लिए बैठक का कार्यवृत्त और उसके आयोजन की व्यवस्था करना;
- (ज) रजिस्ट्रार को निर्माण और संकर्म समिति के लिए बजट तथा नए प्राक्कलनों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक आंकडे उपलब्ध कराना।

3. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)

- (क) वह छात्र परामर्श आयोजन करने में निदेशक को सलाह देगा/देगी;
- (ख) वह छात्र पत्रिकाओं, समाचार बुलेटिन, समाचार पत्रों आदि के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होगा/होगी;
- (ग) वह छात्र, अनुशासन तथा कल्याण संबंधी विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगी;
- (घ) वह छात्र संघ/संगम/परिषद् संबंधी विषयों में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी;
- (ड.) वह एनसीसी, एनएसएस, खेल, तरणताल, क्रीडा, सांस्कृतिक और छात्रों की पाठ्यक्रम के साथ तथा पाठ्यक्रयातीत गतिविधियों को समन्वित करेगा/करेगी;
- (च) वह पूर्व छात्रों का अभिलेख रखेगा/रखेगी और उनके साथ पत्रचार करेगा/करेगी;
- (छ) वह अनुशासनहीनता में संलिप्त छात्रों की जांच कराएगा/कराएगी;
- (ज) वह छात्रों के माता पिता/संरक्षकों से उनकी प्रगति एवं व्यैक्तिक समस्याओं/कल्याण के बारे में पत्राचार करेगा/करेगी।
- (झ) छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के साथ की गतिविधियों (तकनीकी उत्सव, प्रश्नोत्तरी आदि) को समन्वित करना।

4. संकायाध्यक्ष कल्याण

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर निदेशक को सलाह देगा/देगी:

- (क) क्वालिटी सुधार कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थाओं को, उन्हें लागू नियमों के अधीन, संकाय की प्रतिनियुक्ति;
- (ख) वह विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, अल्पावधि पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विदेशी शिक्षण/प्रशिक्षण समनुदेशन आदि के लिए संकाय सदस्यों के प्रतिनियुक्ति के लिए निदेशक को सलाह देगा/देगी;
- (ग) वह संकाय सदस्यों द्वारा सम्मेलनों/सेमिनार में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जने वाले कागजपत्रों की मूल्यांकन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी;
- (घ) वह संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी;

- (इ.) वह विभिन्न विभागों और संकाय सदस्यों के बीच अनुशासन तथा कार्य लोकाचर को बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी:
- (च) वह संस्थान में उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए तथा शैक्षिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी;
- (छ) संकाय अनुशासन, समग्रता और प्रतिबद्धता का पर्यवेक्षण।

5. <u>संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्श)</u>

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगीः

- (क) औद्योगिक रूप से प्रायोजित अनुसंधान और परामर्श के लिए नियम बनाना;
- (ख) संकाय विशेषज्ञता के संबंध में डाटा बेस सृजित करना और उसे बनाए रखना;
- (ग) अनुसंधान/परामर्श कार्य, परियोजना कर्मचारिवृंद की भर्ती करने के लिए आवश्यक उपस्कर उपाप्त करने उसके कार्यालय संकाय के माध्यम से सुकर बनाना;
- (घ) छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के साथ की गतिविधियों (तकनीकी उत्सव, प्रश्नोत्तरी आदि) को समन्वित करना:
- (इ.) ऐसे अभिकरणों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भाभा परमाण अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), नाभकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोरड (एआरएंडडीबी), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि को वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव करने लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

अनुसूचि 'घ'

[परिनियम 24(vii) देखिए]

अन्यत्र नियोजन के लिए आवेदनों का अग्रेषण

शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित संन्नियमों के अनुसार ही नियोजन के लिए आवेदन अग्रेषित किए जाएंगेः

सभी कर्मचारियों से उनकी सेवा के निबंधनों के अधीन अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी/पब्लिक सेक्टर या अन्यत्र में अन्य कार्य के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित संन्नियमों का पालन करेः-

1. साधारण सिद्धान्तः

- (i) अच्छी प्रोन्नित संभावनाओं वाला स्थायी कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों के प्रति पूरे मन से अपनी शक्ति लगाने के लिए सामान्य बाध्यताधीन है। यह अनुचित नहीं होगा यदि अन्य नियोजन के लिए उसका आवेदन रोक लिया जाता है और अग्रेषित नहीं किया जाता है।
- (ii) किसी अस्थायी कर्मचारी का आवेदन तब तक न रोका जाना चाहिए जब तक ऐसे अस्थायी कर्मचारी के लिए अभिलिखित तथा उसे संसूचित किए जाने वाले बाध्यकारी आधार न हो।

किसी ऐसे अस्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पर जिसकी सम्यक अनुक्रम में स्थायी होने की अच्छी संभावनाएं हों, गुणागुण के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iii) ऐसे कर्मचारियों को जिन्हें सरकारी/संस्थान के खर्चे पर कोई तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है, कम से कम बंधपत्र अविध तक संस्थान में सेवा करते रहना चाहिए और ऐसे किसी मामले में आवेदन रोकना औचित्यपूर्ण है। बोर्ड ऐसे मामलों में नीति का विनिश्चय कर सकेगा।

(iv) जहां किसी कर्मचारी को हस्तगत महत्वपूर्ण कार्य को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है, वहां उसके आवेदन को रोका जा सकता है।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन

संस्थान के कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए सीधे आवेदन पत्र कर सकते हैं किंतु उन्हें इसकी सूचना विभागाध्यक्ष और निदेशक को देनी चाहिए। तत्पश्चात् उसे ऐसी नियुक्ति के लिए किन्तु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।

27

- 3. अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानो/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य तुल्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पदः
 - (क) स्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ यह वचनबंध संलग्न होना चाहिए कि वह या तो संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश में पुनः पद ग्रहण करेगा या तीन वर्ष के पश्चात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उके द्वारा धारित पद से त्यागपत्र देगा।
 - (ख) अस्थायी कर्मचारी को उसके चयन और नई नियुक्ति की स्वीकृति की दशा में त्यागपत्र देने का एक वचनबंध देना चाहिए।

खुले विज्ञानपनों के संबंध में विदेशी समनुदेशनः

- (क) कर्मचारी, अध्यक्ष, शासी बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से आवेदन कर सकता है जिसकी पुष्टि शासी बोर्ड द्वारा की जाए।
- (ख) यदि समय का अभाव है, तो एक अग्रिम प्रति संबद्ध अभिकरण को, उचित माध्यम से अनुमोदन के लिए अध्यक्ष शासक बोर्ड को प्रति देते हुए भेजी जा सकती है।
- (ग) ऐसे कर्मचारी पर संबद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश के शासकीय नामनिर्देशिती के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

वे पद जिन्हें विज्ञापित या परिचालित नहीं किया गया है:

आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण

अस्थायी कर्मचारी अनुमति लेकर नाम रजिस्ट्रार करा सकते हैं किन्तु उन्हें चयन हो जाने पर त्यागपत्र देना चाहिए।

स्थायी कर्मचारी अपना नाम निम्नलिखित दशाओं में रजिस्टर करा सकता है:

- (क) केवल सरकारी/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त निकाय के अधीन उच्चतर पद के लिए हो,
- (ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर और
- (ग) एक वचनबंध देकर कि वह नए पद को ग्रहण करने के तीन वर्ष पूरे हो जाने पर या तो संबंद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनः पद ग्रहण करेगा या उससे त्यागपत्र देगा।
- (घ) जब कोई कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में पुनः पद ग्रहण करता है तो उसे रोजगार कार्यालय में पुनः अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसा कर्मचारी जो निलंबनाधीन है या जिसे आरोप पत्र जारी किया गया है:

कोई आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए यदि कर्मचारी निलंबनाधीन रहता है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/ आरोप पत्र न्यायालय में फाइल किया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी गई है।

ऐसे कर्मचारी जिनका आचरण अन्वेषणाधीन है:

ऐसे किसी कर्मचार का आवेदन जिसाक आचरण अन्वेषणाधीन है, अभिकथनों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणियों सहित और इस टिप्पण के साथ कि उसे तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी निलंबित किया गया है या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित होती है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/आरोप पत्र न्यायालय में फाइल लिया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी उसके चयन से पूर्व प्रदान की गई है, अग्रेषित किया जा सकेगा।

"अनुसूची 'ङ'
[परिनियम 23(5)(क) देखें]
शैक्षिक कर्मचारिवृंद की नियुक्ति के लिए अर्हता और अन्य निबंधन और शर्तें

क्रम सं.	पदनाम, वेतन बैंड और शैक्षिक ग्रेड वेतन	अनिवार्य अर्हता	अनिवार्य अपेक्षाएं	संचित अनिवार्य क्रेडिट पाइंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 6,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 7,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3	पीएचडी	किसी विख्यात संस्थान या उद्योग में पीएचडी पश्च शिक्षा और अनुसंधान का एक वर्ष का अनुभव	10
3.	* सहायक प्रोफेसर (संविदा पर) 8,000 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 3 में न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् तीन वर्ष का अनुभव या किसी विख्यात शैक्षिक संस्थान/अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में कुल छह वर्ष का शिक्षण और अनुसंधान का अनुभव	20
4.	एसोसिएट प्रोफेसर, 9,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित, न्यूनतम वेतन 42,800 रुपए के साथ वेतन बैंड – 4	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसर के स्तर पर छह वर्ष या कुल 9 वर्ष का कार्य अनुभव, जिसमें से तीन वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए, 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ सहायक प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष का अनुभव	50
5.	प्रोफेसर 10,500 रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड – 4 में न्यूनतम वेतन 48,000 रुपए	पीएचडी	पीएचडी के पश्चात् 10 वर्ष या 13 वर्ष का कुल अनुभव, जिसमें से 7 वर्ष का अनुभव पीएचडी के पश्चात् होना चाहिए। जिसमें से 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर कम से कम तीन वर्ष या 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर या किसी विख्यात संस्थान या अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला या सुसंगत उद्योग में 9000 और 9500	80

			रुपए के संयोजन में चार वर्ष का अनुभव	
6.	प्रोफेसर (उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड वेतनमान) 67,000-79,000 रुपए	पीएचडी	राष्ट्रीय महत्ता के किसी संस्थान में प्रोफेसर के रूप में 10,000 रुपए या 10,500 रुपए या 10,000 रुपए और 10,500 रुपए के संयोजन में शैक्षिक ग्रेड वेतन के साथ 6 वर्ष का अनुभव	150

टिप्पण 1:

- (1) ग्रेड वेतन में कोई परिवर्तन खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा और सम्यकत: गठित चयन सिमिति सिवाय वहां जहां विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों द्वारा छूट प्रदान की गई हो, की सिफारिशों पर किया जाएगा।
- (2) सभी नए भर्ती किए गए व्यक्तियों के पास सुसंगत या समतुल्य विषय में पीएचडी होगी और उनके पास पूर्ववर्ती डिग्नियों में प्रथम श्रेणी होगी।
- (3) विद्यमान संकाय के सदस्य, जिन्होंने संस्थान में अपने साधारण शिक्षण भार के साथ या क्वालिटी सुधार कार्यक्रम में पीएचडी पूरी की है, पीएचडी में नामांकन अविध को शिक्षण अनुभव के लिए गणना में लिया जाएगा।
- (4) संस्थान प्रशासन में योगदान की संबंधित अध्यक्ष द्वारा सिफारिश की जाएगी और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा । विभागीय प्रशासन में योगदान की सिफारिश संबंधित अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए और उसका अनुमोदन निदेशक द्वारा किया जाना चाहिए ।
- (5) उन विभागों, जिनमें कोई रिक्ति नहीं है, उच्चतर शैक्षिक ग्रेड वेतन या कैडर में संचलन को विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा किंतु यह संबंधित विभागों के सेवारत संकाय सदस्यों तक ही निर्वंधित होगा।
- (6) स्थायी संकाय सदस्य, जिनके पास दस वर्ष से अधिक अनुभव है किंतु जिन्होंने इस अधिसूचना की तारीख को पीएचडी अर्जित नहीं की है, को निम्नलिखित मानकों के अनुसार एकमुश्त उपाय के रूप में चार चरणीय नम्य प्रणाली में रखा जाएगा:

क) पचास वर्ष या अधिक आयु के स्थायी संकाय सदस्य:

- (i) 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले सहायक प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम दस क्रेडिट पाइंट हों।
- (ii) 8,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित सहायक प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों।
- (iii) 9,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन सहित एसोसिएट प्रोफेसरों को 9,500 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन वाले एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर में रखा जाएगा किंतु यह कि उनके पास उनके जीवनकाल में कम से कम पच्चीस क्रेडिट पाइंट हों:

परंतु यह कि वह कानून के अधीन सम्यकत: गठित चयन समिति के माध्यम से उपयुक्त पाया जाता है।

- ख) पचास वर्ष से कम आयु के स्थायी संकाय सदस्यों को किसी भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पीएचडी करने के लिए प्रायोजित किया जाएगा, उन्हें संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से तीन वर्ष का अध्ययन अवकाश देने के लिए सम्यकत: संदाय प्रदान किया जाएगा और पीएचडी पूरा करने पर वह नए भर्ती नियमों के अनुसार चार चरणीय प्रणाली में जाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।
- (7) भवन विन्यास विभाग में संकाय के लिए सहायक प्रोफेसर स्तर पर क्रेडिट पाइंटों की आवश्यकता पर बल न देते हुए निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता होगी :
 - (i) एक वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 6,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;
 - (ii) दो वर्ष के व्यवसायिक अनुभव के साथ एम आर्क या एम प्लान : 7,000 रुपए शैक्षिक ग्रेड वेतन में सहायक प्रोफेसर ;
 - (iii) उच्चतर संवर्गों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और क्रेडिट पाइंट आवश्यकता वहीं रहेगी जो इंजीनियरी और विज्ञान के लिए सारणी में दी गई है।

टिप्पण 2 : क्रेडिट पाइंट प्रणाली

निम्नलिखित क्रेडिट पाइंट प्रणाली होगी।

क्रम सं.	कार्यकलाप	क्रेडिट पाइंट
1.	एक बाह्य प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजना पूरी की हो या चल रही हो या कोई पेटेंट अनुदत्त किया गया हो	प्रति परियोजना आठ क्रेडिट पाइंट या आविष्कारक के रूप में प्रति पेटेंट आठ क्रेडिट पाइंट (किसी परियोजना में एक से अधिक व्यक्तियों की दशा में, प्रधान अनुसंधानकर्ता को पांच क्रेडिट पाइंट मिलेंगे और शेष को अन्य सदस्यों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा।
2.	परामर्श सेवाएं	10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए, 5 लाख रुपए के परामर्श के लिए दो क्रेडिट पाइंट की दर से
3.	पूरी की गई पीएचडी (जिसके अंतर्गत शोध जमा करने के मामले हैं)	प्रति पीएचडी विद्यार्थी 8 क्रेडिट पाइंट (एक से अधिक पर्यवेक्षकों की दशा में गाइड (पहला पर्यवेक्षक) प्रति विद्यार्थी 5 क्रेडिट पाइंट लेगा और शेष को अन्य पर्यवेक्षकों के बीच बराबर विभाजित कर दिया जाएगा)।
4.	विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स जर्नल में एक पेपर (संदत्त जर्नल अनुज्ञात नहीं)	अंतिम प्रोन्नति से प्रति पेपर चार पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक दो पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा ।
5.	एक संगोष्ठी पेपर, जिसे विज्ञान उद्धरण इंडेक्स या स्कोप्स या वेब ऑफ साइंस संगोष्ठी या कोई अंतर्राष्ट्रीय विख्यात संगोष्ठी	अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पेपर 1 क्रेडिट पाइंट । प्रथम लेखक या मुख्य पर्यवेक्षक 0.6 पाइंट प्राप्त करेगा और शेष पाइंटों को अन्य के बीच विभाजित कर दिया जाएगा।
6.	विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, मुख्य वार्डन, भारसाधक प्रोफेसर (प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट) सलाहकार (संपदा), मुख्य सर्तकता अधिकारी, पीआई (परीक्षा), टीईक्यूआईपी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 16 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट

	(समन्वयक)	
7.	वार्डन, सहायक वार्डन, एसोसिएट संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष या संयोजक, संस्थान शैक्षिक समितियां, संकाय प्रभारी, कंप्यूटर केंद्र या सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं या पुस्तकालय या प्रवेश या विद्यार्थी कार्यकलाप और अन्य संस्थानिक कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
8.	विभिन्न स्थायी समितियों और विशेष समिति के अध्यक्ष और संयोजक (पदेन स्थिति पर विचार नहीं किया जाएगा) विभिन्न इकाईयां या समतुल्य के (प्रत्येक एक वर्ष की अवधि के लिए) संकाय प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
9.	विभागाध्यक्ष द्वारा पहचान किए गए विभागीय कार्यकलाप जैसे न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोगशाला या विभाग स्तरीय समिति के प्रभारी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 3 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
10.	कार्यशाला या संकाय विकास कार्यक्रम या न्यूनतम पांच कार्यदिवस की अवधि के लघु अवधि पाठ्यक्रम, जिनका समन्वयक या संयोजक के रूप में प्रस्ताव किया गया है	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 8 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति पाठ्यक्रम 2 पाइंट
11.	पाठ्यक्रम समन्वयक के रूप में शैक्षिक नेटवर्कों आदि की वैश्विक पहल, जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करने के लिए दो सप्ताह की अवधि के कार्यक्रम एक सप्ताह की अवधि का कार्यक्रम	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 2 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
12.	अध्यक्ष या सचिव के रूप में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 3 पाइंट
13.	किसी दिए गए संवर्ग के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुसंगत शिक्षण अनुभव से अधिक सेवा अवधि	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
14.	नई प्रयोगशालाओं की स्थापना	अंतिम प्रोन्नति से 4 क्रेडिट पाइंट
15.	छह क्रेडिट घंटों के पाठ्यक्रम से अधिक सिद्धांत शिक्षण	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट
16.	स्नातकोत्तर मार्गदर्शित निबंध	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.5 पाइंट
17.	स्नातक परियोजनाएं	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 0.25 पाइंट
18.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 18 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 6 पाइंट
19.	विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों से सुसंगत विषयों पर प्रकाशित पाठ्य या संदर्भ पुस्तकें या विख्यात अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में पुस्तक अध्याय	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 6 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट
20.	महत्वपूर्ण आउटरिच संस्थान बाह्य कार्यकलाप	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 4 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 1 पाइंट

22.	प्लेसमेंट प्रतिशत (केवल प्लेसमेंट कक्ष अधिकारियों या प्लेसमेंट के संकाय प्रभारी के लिए)		
	85 प्रतिशत से अधिक	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 20 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 4 पाइंट	
	75 प्रतिशत – 84 प्रतिशत	अंतिम प्रोन्नति से अधिकतम 10 क्रेडिट पाइंटों के अधीन रहते हुए प्रति सेमेस्टर 2 पाइंट	
	(प्रतिशत उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और एकल जॉब प्रस्ताव पर आधारित होगा)	160 86 110 111101 5 1160	

[सं. एफ. 31-8/2016-टीएस.III] आर. सब्रहमनियम, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2017

G.S.R. 988(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007) the Central Government, with the prior approval of the Visitor, hereby makes the Statutes for National Institute of Technology, Andhra Pradesh, namely:-

- **Short title, extent and commencement:-** (1)These Statutes may be called the Statutes of the National Institute of Technology, Andhra Pradesh, 2017.
 - (2) They shall apply to the National Institute of Technology, Andhra Pradesh.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.-** (1) In these Statutes, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (29 of 2007);
 - (b) "Authorities", "Officers" and "Faculty Members" mean, respectively, the authorities, officers and faculty members of the Institute;
 - (c) "Board means the Board of Governors of the Institute;
 - (d) "Building and Works Committee" means the Building and Works Committee of the Institute constituted under Statute 12:
 - (e) "Centre" means an academic unit of the Institute engaged in academic activities (like teaching, research, etc.) generally of an inter-disciplinary nature;
 - (f) "Council means the Council of the Institute;
 - (g) "Department" means an academic unit of the Institute engaged in academic activities (like teaching, research, etc) generally relating to a particular discipline or area;
 - (h) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute constituted under Statute 10;
 - (i) "Head of a Department or Centre", by whatever name called, means the person appointed to head the Department or Centre, as the case may be, under Statute 20;
 - (j) "Programme" means an academic programme of the Institute;
 - (k) "rules" mean the rules made under the Act;
 - (l) "Schedule" means Schedule annexed to these Statutes.

- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Authorities.-** The following shall be the authorities of the Institute, namely:-
 - (i) the Board of Governors as constituted under Section 11 of the Act;
 - (ii) the Senate as constituted under Section 14 of the Act;
 - (iii) the Finance Committee, as constituted under Statute 10; and
 - (iv) the Building and Works Committee as constituted under Statute 12.
- **4. Board of Governors and meetings thereof.-** (1) The bodies entitled to nominate or elect representatives of the Board shall be invited by the Registrar to do so within a period not exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued by him.
 - (2) Casual vacancies on the Board shall be filled up by following the procedure specified under Sub-Statute (1).
 - (3) The Board shall ordinarily meet four times during a calendar year.
 - (4) Meetings of the Board shall be convened by the Chairperson, either on his own motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than four members of the Board.
 - (5) Six members shall form a quorum for a meeting of the Board :

Provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day in the next week at the same time and place or on such other day, time and place, as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the scheduled time for holding a meeting, the members present shall form the quorum.

- (6) All questions considered at the meetings of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have a casting vote.
- (7) The Chairperson, if present, shall preside over every meeting of the Board:

Provided that in the absence of the Chairperson, the members present shall elect a member from amongst themselves to preside at the meeting.

(8) A written notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least fifteen days before the date of the meeting mentioning therein the place, date and time of the meeting:

Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Board at short notice to consider urgent issues.

- (9) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or e-mail or fax, at the address of each member as recorded in the office of the Board and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
- (10) Agenda of the meeting shall be circulated by the Registrar to all members at least ten days before the meeting.
- (11) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda shall reach the Registrar at least one week before the meeting:

Provided that the Chairperson may, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

- (12) The ruling of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.
- (13) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the Registrar and circulated to all members of the Board present in India and the same along with any amendment suggested shall be placed before the Board in its next meeting for confirmation and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson, they shall be recorded in the minute book.
- (14) The minute book shall be kept open for inspection of the members of the Board and the Council at all times during office hours.

- (15) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board, he shall cease to be a member of the Board.
- (16) No matter concerned with finance shall be placed before the Board unless the same has been considered by the Finance Committee.
- (17) No matter which is required to be first considered by the Building and Works Committee shall be placed before the Board unless the same has been considered by the Building and Works Committee after obtaining the administrative approval of the Board.
- **5. Powers of the Board.-** In addition to the powers provided under sub-section (1) of section 13 of the Act, the Board shall be empowered,-
- (i) to abolish, re-designate or change the nomenclature of any post in the Institute;
- (ii) to make, modify or cancel any Statute with the approval of the Visitor from time to time:
 - Provided that the new Statute, additions or amendments of existing Statute shall be applicable only after the assent of the visitor; and
- (iii) to make, modify and cancel all or any ordinances on recommendation of the Finance Committee or Senate of the Institute subject to the condition that making, modification and cancellation shall not be in contravention of the Act and the Statutes made thereunder.
- **6. Authentication of Orders of the Board.-** All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Director. In absence of the Director, the Registrar or any person-authorised by the Board in this behalf.
- **7. Senate.-** (1)The Senate shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times during a calendar year.
 - (2) Meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own motion or on a requisition signed by not less than one fifth of the members of the Senate.
 - (3) The meeting Governed on requisition shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is given and shall necessarily be chaired by the Director on convenient date and time.
 - (4) One third of the total number of members of the Senate shall form a quorum for a meeting of the Senate.
 - (5) The Director shall preside over every meeting of the Senate:
 - Provided that in the absence of the Director, Deputy Director shall preside and in the absence of both the Director and the Deputy Director, the senior most Professor present shall preside over the meeting.
 - (6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Senate at least a week before the meeting:
 - Provided that the Chairman of the Senate may permit inclusion of any item for which due notice has not been given.
 - (7) Notwithstanding the provisions of sub-statute (6), the Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues.
 - (8) The ruling of the Chairman of the Senate with regard to all questions of procedure shall be final.
 - (9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar in consultation with Dean (Academics) and circulated to all the members of Senate present in India:

Provided that no such minutes shall be circulated, if the Senate considers such circulation prejudicial to the interests of the Institute or the Central Government.

- (10) The minutes, along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Senate, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate, the Board and the Council at all times during office hours.
- **8. Powers of the Senate.-** Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the powers to -
 - (i) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various Departments and Centres;
 - (ii) make arrangements for the conduct of examinations; appointment of examiners, moderators, tabulators and other matters relating to the examinations;
 - (iii) declare the results of the examinations or to appoint Committees or officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
 - (iv) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Departments or Centres of the Institute to make recommendations on academic matters connected with the working of the Departments or Centres;
 - (v) appoint Committees from amongst the members of the Senate, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific and important academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
 - (vi) consider the recommendations of the Advisory Committees attached to various Departments or Centres and that of Expert and other Committees and take such action (including the making of recommendations to the Board) as warranted by each case;
 - (vii) make periodical review of the activities of the Departments or Centres and take appropriate action (including the making of recommendations to the Board);
 - (viii) supervise the working of the Library of the Institute;
 - (ix) promote research and academic development or activity within the Institute and seek reports on such research or academic development or activity from the persons engaged therein;
 - (x) provide for the inspection of the class rooms, Laboratories, Library and the residential hostels;
 - (xi) plan co-curricular activities of students of the Institute;
 - (xii) award stipends, scholarships, medals and prizes and make other awards in accordance with such conditions as may be attached to the awards;
 - (xiii) make recommendations to the Board with regard to the creation or restructuring of Departments or Programmes or Centres and the abolition of existing Departments or Centres thereof;
 - (xiv) make recommendations to the Board to disseminate knowledge through distance learning mode to various parts of the State or country or abroad;
 - (xv) invite up to two student representatives during discussion of general nature not involving policy or disciplinary matters in the Senate meetings.
- **9. Chairman of the Senate to exercise powers in emergency.-** If, in the opinion of the Chairman of the Senate, any emergency has arisen which requires immediate action, he may take such action as he deems necessary and shall report the same for approval to the Senate in its next meeting.
- **10. Finance Committee.-** (1) There shall be a Finance Committee consisting of the following members, namely:-
 - (i) the Chairperson of the Board of Governors, ex-officio Chairman;
 - (ii) the Director, ex-officio member;
 - (iii) Joint Secretary dealing with National Institutes of Technology or his nominee and Financial Advisor (Human Resource Development) or his nominee, ex-officio members;
 - (iv) two persons nominated by the Board from amongst its members; and
 - (v) the Registrar, ex-officio, Member-Secretary:

Provided that in addition to the above, the Chairman may invite an expert as special invitee, however, the special invitee may not have voting rights.

- (2) All financial proposals shall be placed before the Finance Committee prior to being placed before the Board for consideration and approval.
- (3) The Finance Committee shall meet ordinarily four times in a year preferably before the meeting of the Board of Governors.
- (4) Four members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.
- (5) The Chairman, shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his absence, the Director shall preside over the meetings.
- (6) The provisions in these Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as practicable may be, followed in connection with the meetings of the Finance Committee.
- (7) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be placed before the Board.
- 11. **Powers of the Finance Committee.-** The Finance Committee shall have power to -
 - examine and scrutinise the annual budget of the Institute prepared by the Director and make recommendations to the Board; and
 - (ii) give its views and make its recommendations of the Board on any financial proposals or issues affecting the Institute to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own motion.
- **12. Building and Works Committee.-** (1) There shall be a Building and Works Committee for each Institute, consisting of following members, namely:-
 - (i) the Director, ex-officio Chairperson;
 - (ii) Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with the National Institutes of Technology in the Ministry and Director or Deputy Secretary or his nominee dealing with Finance of National Institutes of Technology in the Ministry as ex-officio members of the Central Government;
 - (iii) one member nominated by the Board of Governors;
 - (iv) Registrar, ex-officio, Member Secretary;
 - (v) Dean, planning and development or similar position Member; and
 - (vi) one expert each from Civil and Electrical Engineering Wing of Central or State Government or any autonomous body of repute Member.
 - (2) The Building and Works Committee shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times in a year.
 - (3) Four members shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.
 - (4) The provisions in these Statutes regarding notice of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meeting of the Board shall, as far as practicable may be followed in connection with meetings of the Building and Works Committee also.
 - (5) A copy of the minute of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Board together with the recommendations of the Finance Committee on specific proposal or proposals which requires approval of the Board.
- **13. Powers and functions of the Building and Works Committee.** (1) The Building and Works Committee shall,-
 - (i) under the directions of the Board, undertake construction of all major works, after the necessary administrative approval and expenditure sanction from the Board;
 - (ii) have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to repair and maintenance, within the approved budgetary provision of the Institute;

Provided that the Board shall define the minor work and minor repair and maintenance in terms of quantum or expenditure.

- (iii) cause to prepare estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like. The Building and Works Committee shall approve the cost estimates for minor works, minor repairs and maintenance;
- (iv) be responsible for making technical scrutiny of the design, estimates and specifications of the material as may be considered necessary;
- (v) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works where necessary duly recommended by the Dean (Planning and Development) of the Institute;
- (vi) have the power to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors;
- (2) If, in the opinion of the Chairperson of the Building and Works Committee, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, he shall take such action and report the same to the Building and Works Committee, Finance Committee and the Board at their next meetings.
- (3) The Building and Works Committee shall also perform such functions and exercise such powers as may be entrusted by the Board, from time to time.
- **14. Powers of the Chairperson, Board of Governors.-** In addition to the powers provided under the Act, the Chairperson of the Board shall have the following powers, namely:-
 - (i) on the recommendations of the Selection Committee, fixing the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of posts to which the appointments can be made by the Board under the provisions of the Act;
 - (ii) deputing members of the staff, except the Director, of the Institute for training or for a course of instruction, outside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time:

Provided that the visit abroad by the Director shall be approved by the Chairman, National Institutes of Technology, Science Education and Research Council;

- (iii) he shall execute the contract of service between the Institute and the Director on behalf of the Central Government, but he shall not be personally liable of anything under such contract; and
- (iv) taking action in emergent cases and to inform the Board of such action for confirmation and ratification.
- 15. Travelling allowances and sitting fees.- The Members of the Board and other authorities of the Institute and members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Board and other authorities shall be entitled to traveling allowance, daily allowance and sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees as laid down by the Board from time to time.
- **Departments and Centres.** The Institute shall be organised into such number of Departments and Centres, to be known by such names, as the Board may, within the budgetary provision, approve from time to time, on the recommendations of the Senate.
- 17. The Director and his powers.- (1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendation of a Search cum Selection Committee constituted by him consisting of at least five members. The Chairperson of the Council shall be its Chairperson and the Secretary of the Department of Higher Education or his representative shall be one its members besides three other experts in the field of technical education with experience at national and international level.
 - (2) The Director shall be appointed for a period of five years and shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Director in the form specified in Schedule'A.'
 - (3) Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down in the ordinances.
 - (4) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit specified for the Head of Department in the Central Government for each item:

Provided that such appropriation shall not involve any increase in the budget and any liability in future years:

Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.

- (5) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses up to a limit of ten thousand rupees and of irrecoverable value of store items lost or rendered unserviceable due to normal wear and tear or obsolete up to a limit of twenty five thousand rupees subject to such stipulations as may be made by the Board from time to time.
- (6) The Director shall have the power to donate obsolete equipment or store items, as identified by a Committee constituted for this purpose by the Director, to any educational institution in the vicinity of the Institute up to such limits as may be decided by the Board from time to time.
- (7) The Director, where he is the appointing authority, shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respect of posts to which appointment may be made by him under the powers vested in him by the provision of the Act or these Statutes.
- (8) The Director shall have the power to employ Teaching Supporting Staff in the Laboratories, Technicians or Technical Instructors and Skilled Workmen, paid from contingencies from time to time, for not more than one year on such remuneration as may be decided by the Board.
- (9) The Director shall have the power to send members of the staff for training or to attend course of instruction inside India subject to such terms and conditions as may be specified by the ordinances.
- (10) The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
- (11) If for any reason the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any faculty member or member of staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:
 - Provided that if at any time the temporary absence of the Registrar exceeds one month, the Board may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or assign the functions of the Registrar, for a period exceeding one month.
- (12) All contracts for and on behalf of the Institute except the one between the Institute and the Director shall when authorised by a resolution of the Board passed in that behalf in writing and expressed to be made in the name of the Institute and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director, but the Director shall not be personally liable in respect of anything under such contract.
- (13) The Director may, during his absence from headquarters, specifically authorise in writing the Deputy Director or in his absence, one of the Deans or the Senior most Professor present to sanction advances for travelling allowance, contingencies and medical treatment of the staff and sign and counter-sign bills on his behalf.
- (14) The Director may, at his discretion, constitute such Committees, as he may consider appropriate for smooth functioning of the Institute.
- (15) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may discharge the functions assigned to the Chairperson under section 16 of the Act.
- (16) The Director may, with the approval of the Board delegate any of his powers, authorities or responsibilities vested in him by virtue of the Act and the Statutes to one or more members of Academic or Administrative Staff of the Institute.
- (17) The disciplinary powers for Director of the Institute shall be decided by the Board of Governors of National Institute of Technology, Andhra Pradesh from time to time.
- **18. The Deputy Director.-** (1) The appointment of the Deputy Director shall be made by the Board on the recommendations of the Selection Committee constituted in terms of provisions under Statutes 23 (5) (a) of the Statutes of NIT Andhra Pradesh.
 - (2) The appointment shall be for a period of three years initially which may be extended by two times for one year each on recommendation of the Board.
 - (3) The Deputy Director shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Deputy Director in the form specified in Schedule 'B'.

- (4) The Deputy Director shall have all the powers of the Director during the vacancy in the post of Director of the Institute.
- (5) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research, and also with industrial undertakings and other employers.
- **19. Deans.-** (1) The Institute shall establish not more than six Deanships.
 - (2) The Director shall appoint the Deans under intimation to the Chairperson, Board of Governors.
 - (3) The Dean shall hold his post for two years extendable by one more year.
 - (4) Only Professors or Associate Professors shall be eligible for becoming Deans.
 - (5) Broad functions of Deans are enumerated in Schedule 'C'.
- **20. Head of the Department or Centre.-** (1) Each Department and Centre of the Institute shall be placed in charge of a Head, who shall be selected by the Director, from amongst the Professors and Associate Professors of that Department or Centre:

Provided that if a Department or Centre has no Professor or Associate Professor, the Director may appoint an Assistant Professor of that Department or Centre to head the Department or Centre.

(2) The Head of a Department or Centre shall hold his post for a term of two years:

Provided that after the expiry of his term of office, he shall continue to hold office till the appointment of his successor:

Provided further that no person shall head a Department or Centre continuously for a period exceeding three years, unless he is specially appointed at least for a second term.

- (3) The Director may himself take temporary charge of a Department or place it under the charge of the Deputy Director or a Professor from another Department for a period not exceeding six months.
- (4) The Head of Department shall be responsible for the entire working of the Department subject to the general control and supervision of the Director.
- (5) The Head of Department shall be duty bound to see that the decisions of the authorities of the Institute and of Director are faithfully carried out and shall perform such other duties as may be assigned to him by the Director or the Senate.
- (6) When appointment to the post of Head of Department or Centre becomes due, the Director shall ascertain the willingness, of the persons eligible to be appointed as Head, for being so appointed, and shall generally select a person by rotation from among eligible and willing persons.
- (7) Whenever it is proposed to deviate from the principle of rotation, such appointment shall be made only with the prior approval of the Chairperson, Board of Governors and for reasons to be recorded in writing and shall also be reported to the Senate and the Board, along with reasons for deviation, in their next meetings.
- **21. Registrar.** (1) The Registrar shall be appointed for a fixed term of not exceeding five years on deputation or contract basis.
 - (2) The Registrar shall act as Secretary of the Board, Senate and such other Committees to which he may be required by the Statutes to act as such.
 - (3) The review of performance of the Registrar upon completion of one year of service may be carried out by the Committee to be constituted by the Board.
- **22. Classification of the members of the staff.-** Except in the case of employees paid from contingencies, the members of staff of the Institute shall be classified as under:-
 - (i) Academic staff: Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor and such other academic posts as may be decided by the Council of National Institute of Technology Science Education and Research and adopted by the Board from time to time;
 - (ii) Technical staff: Principal Scientific Officer, Senior Scientific Officer, Scientific Officer, Principal Technical Officer, Senior Technical Officer, Technical Officer, Superintendent Engineer, Senior Executive Engineer, Executive Engineer, Junior Engineer, Assistant Engineer, Technical Assistant, Senior Technical Assistant, Technician, Senior Technician,

Senior Work Assistant, Work Assistant, Senior Laboratory Assistant, Laboratory Assistant and such other Technical Staff as may be decided by the Council of National Institute of Technology Science Education and Research and adopted by the Board from time to time; and

- (iii) Administrative and others staff: Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar, Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Principal SAS Officer, Senior SAS Officer, SAS Officer, Medical Officer, Senior Medical Officer, Security Officer, Senior Assistant, Assistant, Superintendent, Senior Accountant, Accountant, Senior Superintendent, Stenographer, Senior Stenographer, Secretary, Senior Secretary, Pharmacist, Senior Pharmacist, Supporting Staff and such other Administrative and other staff as may be decided by the Council of National Institute of Technology Science Education and Research and adopted by the Board from time to time.
- (2) Posts classified as **Academic staff** shall be vacation posts only.
- **23. Appointments.-** (1) The posts at the Institute shall be filled by advertisement on all India basis:

Provided that the ratio between the direct recruitment and promotion posts for posts other than that of the Director or the Deputy Director shall be as per the recruitment rules.

- (2) The reservation of posts shall be in accordance with the rules and instructions of the Central Government.
- (3) For the purposes of appointments in the Institute, the rules as approved by the Council or Central Government shall apply.
- (4) The Selection Committees, for filling posts under the Institute (other than the posts on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute, shall be constituted in such manner as laid down by the Ministry of Human Resource Development, Government of India or the Board from time to time by Ordinances.
- (5) Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the following manner, namely:
 - a. The qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff (excluding Director), or promotion shall be as specified in Schedule 'E' and the Selection Committee for making recommendations for appointment of Academic Staff (excluding Director) shall consist of following members, namely:-

(1) Director or Deputy Director - Chairman

(2) Visitor's Nominee - Member

(3) Two nominees of the Board one being an expert, but other than a member of the Board

Member

(4) One expert nominee of Senate from outside the Institute

- Member

(5) Head of Department concerned

Member

b. The Selection Committee for Technical posts shall be as follows:

(1) Director or Deputy Director - Chairman

(for other than the post of Deputy Director and Professor)

(2) One Expert from outside the Institute - Member

(3) Nominee of the Ministry of Human Resource Development

- Member

(4) Concerned Head of Department - Member

(5) Registrar - Member

c. The Selection Committee for Administrative and Ministerial Staff shall be as under:

(1) Director or Deputy Director - Chairman

(2) One Expert from outside the Institute - Member

(3) Nominee of the Ministry of Human
 Resource Development - Member
 (4) Registrar - Member

d. The Selection Committee for Senior Administrative and other comparable posts carrying pay scale of Assistant Professor and above shall be as under:-

(1) Director or Deputy Director - Chairman
 (2) One Expert from outside the Institute - Member

(3) Nominee of the Ministry of Human Resource Development

- Member

(4) Nominee of the Board - Member

(5) Registrar - Member

- (6) In case the Selection is made for the Registrar or the equivalent post, the Board shall nominate a person as member of the Selection Committee and the Registrar not sit as member thereon.
- Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Board may, constitute such Ad-hoc Selection Committee, as circumstances of each case may require.
- (8) Where a post is to be filled by promotion from amongst the members of the Institute or temporarily for a period not exceeding twelve months, the procedure for the same shall be as specified by Ordinances.
- (9) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons having special skill or knowledge to suit the emergent need of the Departments or Centres:

Provided that such appointments shall not be made for a period exceeding twelve months.

- (10) If the post is to be filled by advertisement, the Registrar shall advertise the terms and conditions of the post and the Screening Committee for the purpose of short listing the eligible and most desirable candidates and the Screening Committee shall screen all applications received within the date specified in the advertisement.
- (11) At the time of interview, the Selection Committee shall examine credentials of all candidates, who have been called for the interview, interview the eligible candidates and recommend the appointment of the most suitable candidate to the competent authority for approval.
- (12) The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of interview and if for any reason the recommendations are not approved by the competent authority or appointment orders not issued after the approval of recommendations within the said period of one year, the recommendations shall lapse and fresh advertisement shall be issued.
- (13) No act or proceedings of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.
- (14) Unless otherwise provided for under these Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall continue to exercise its functions in relation to that post till the appointment is made against that post.
- (15) All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.
- The applications of the employees eligible for promotion or up-gradation under Modified Assured Career Progression shall be considered by the Departmental Promotion Committee before any promotion or up-gradation is recommended.
- (17) The Departmental Promotion Committee shall be as follows, namely:-

Director or Deputy Director
 Concerned Head of Department
 Head of Department from other Department
 Registrar
 Member
 Member

24. General terms and conditions of service of permanent employees.- Permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions, namely:-

(i) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to posts under the Institute shall be made on probation for a period of one year and after completion of the probation period, the employee shall continue to hold his post till the end of the month in which he attains the prescribed maximum age:

Provided that if the probation of an employee is found to be not satisfactory, the appointing authority shall have the power to extend the period of probation for a period not exceeding one year.

- (ii) The age of superannuation shall be as specified for various classes and categories of the employees of the Institute by the Central Government.
- (iii) The employees of the Institute shall be entitled to allowances in addition to pay, as admissible to the Central Government employees subject to the approval by the Central Government.
- (iv) The employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families as per the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (v) The employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as mentioned in Statute 25.
- (vi) The employees shall be governed by the New Pension Scheme announced by the Central Government.
- (vii) The application of the employees of the Institute shall be forwarded for employment outside the Institute only three times in a year in accordance with the procedure specified in Schedule'D'.
- (viii) The employees of the Institute shall be entitled to Leave Travel Concession as admissible to the Central Government employees.
- (ix) Overtime and night allowance shall be paid to the eligible employee of the Institute as is admissible to the Central Government employees.
- **25. Code of conduct for permanent employees.-** The code of conduct for employees shall be made by each Institute in consultation with the Central Government and till such time the code of conduct for employees is framed, the Institute shall follow the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.
- **26. General terms and conditions of services of temporary employees.-** (1) The services of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice of one month in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee.
 - (2) The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in the letter of appointment.
- **27. Appointments on contract.-** (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board with the prior approval of the Visitor may in special circumstances appoint an eminent person on contract for a period not exceeding five years.
 - (2) Subject to the provisions of the Act, the Board may appoint any person on contract in the prescribed scales of pay and on terms and conditions applicable to the relevant post for a period not exceeding three years.
 - (3) For making such appointments, the Chairperson, Board of Governors shall constitute such ad-hoc Selection Committee, as the circumstances of each case may require:

Provided that such constitution of Committee shall be reported to the Board for confirmation.

- **28. Provident Fund and Pension Schemes.** Employees of the Institute shall be governed by the New Pension Scheme of the Central Government.
- **Resignation.-** Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these Statutes, a member of the staff of Institute may resign,-
 - (i) if he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to his appointing authority, or by paying three months salary in lieu thereof; and
 - (ii) if he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority.

- **Retirement.-** (1) At any time after an employee has completed twenty years qualifying service, he may, by giving notice, of not less than three months, in writing to the appointing authority, retire from service as per the terms and conditions laid down by the Central Government, from time to time, for its own employees.
 - (2) The appointing authority has the right to retire the employee before superannuation as premature retirement in accordance with the provision of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.
 - (3) An employee may retire form service on account of any bodily or mental infirmity that permanently incapacitates him from service subject to the following conditions, namely:-
 - the employee shall submit his application to the Registrar through proper channel and produces a medical certificate from medical authority as may be specified by the Ordinances;
 - (ii) if the medical authority grants fitness certificate for a lower post, the employee, if willing may be appointed on such post, only if available; and
 - (iii) the medical report shall precede or coincide with the date of retirement.
- **31. Advances.** The permanent employees of the Institute shall be having facility of drawing advances for various purposes as admissible to the Central Government employees.
- **Deputation.-** Deputation is permissible for appointment (temporary transfer) in public interest outside the Institute to other National Institutes, Central Government, State Government, Universities or Autonomous Bodies including Public Sector undertaking and subject to such terms and conditions as may be specified in the recruitment rules.
- **Residential accommodation.-** (1) Every employee of the Institute may be allotted an unfurnished house, if available within the campus of the Institute for residential use, subject to such conditions as may be laid down by the house allotment rules of the Institute.
 - (2) An employee of the Institute who has been allotted house for residential use, shall be charged license fee at the rate as fixed by the Board from time to time.
 - (3) In addition to the license fee, water, electricity and charges for any other service rendered shall be recovered from an employee on actual basis or at such rates as may be determined by the Board from time to time.
 - (4) The Board may, allot furnished or unfurnished accommodation without levying any license fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers it necessary to do so in the interest of the Institute.
- **34. Leave.-** The leave for all the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Leave) Rules), 1972.
- **35. Scholarships, Fellowships, Medals and prizes.-** The Board may, on the recommendations of the Senate institute such scholarships, fellowships, medals and prizes as it may consider necessary.
- **36. Fees.-** The Institute shall charge the following fees, namely:-
 - the tuition and other fees shall comprise two parts (a) tuition fees determined by the Council be common for all National Institutes of Technology; and (b) other fees which shall be determined by the Boards of Governors;
 - (ii) the caution money, which shall be refundable to student, scholars and fellows at the time of finally leaving the Institute, after deduction of relevant dues, if any and where no claim for a refund is received within two years of finally leaving the Institute, the caution money shall be credited into the Student Welfare Fund;
 - (iii) the fee concession and scholarships as may be determined by the Central Government from time to
- **37. Students hostels and halls.-** (1) The Institute shall be a residential institution and all students and research scholars shall to the extent possible reside in the hostels and halls of residence built by the Institute for the purpose:

Provided that in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Director may permit a student or scholar to reside with his parent or guardian, but where any such permission is accorded to a student or scholar, such student or scholar, as the case may be, shall be liable for the payment of such rent as he shall have been liable for the payment of rent had he resided in the hostel.

(2) Every resident in the hostels and halls shall conform to rules laid down by the Institute for the purpose.

- (3) For each hostel or hall of residence there shall be a Warden and such number of Assistant Wardens and other staff as may be determined by the Board from time to time.
- (4) The members of the Academic Staff shall be appointed by the Director as Warden and Assistant Warden.
- (5) Wardens and Assistant Wardens shall be entitled to rent free unfurnished residential accommodation corresponding to the type of accommodation to which they are normally entitled.
- (6) The Board shall lay down rules for the management of the hostels and halls of residence.
- **38. Conferment of honorary degrees.-** The Institute may confer honorary degrees for a few exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields:

Provided that all proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Senate and shall be approved by the Board.

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY SCHEDULE 'A' [See Statute 17(2)]

"WHEREAS in terms of sub-section (1) of section 17 of the National Institute of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (hereinafter called the Act) and sub-statute (2) of Statute 17 (in case of NIT, Andhra Pradesh) (hereinafter called Statute), the Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THIS PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- [1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, and Statutes covering the Institute as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- [2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from the date of joining the post:

Provided that if the appointee on conclusion of the period of service is below 70 years of age, his service shall continue till the 30th June of the year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of 70 years, whichever is earlier.

- [3] The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and serve the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in the said Act and Statutes.
- [4] The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and shall be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act and the Statutes and information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923, as amended from time to time.
- [5] During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs..... in the scale of Rs..... provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation shall be such as may be decided by the Board of Governors and in addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per Rules of the Institute.
- During his service under this contract, the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in this provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes and in the event of the appointee being employer of any other National Institute of Technology and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund -cum- Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the Institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the institutes as per the Statutes.
- [7] Notwithstanding anything herein before contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of this presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of

Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of this presents.

- [8] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.
- [9] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.
- [10] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.
- [11] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in public interest:

Provided that the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance in the scale provided for in the Travel Allowances (T. A.) Rules of the institute in force from time to time and similarly, the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the relevant rules of the Institute.

- [12] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line and he shall also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.
- [13] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Central Government at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned.

Provided that the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months and the appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

- [14] The appointee shall be allowed the status of Professor of the Department of his speciality and take part in teaching and research in the said Department subject to his convenience.
- [15] In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee shall be governed by the said Act or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made thereunder for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairperson of the Board of Governors of the Institute has herein to set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the National Institute of Technology, Andhra Pradesh by the Chairperson, Board of Governors of the Institute

SCHEDULE 'B' [See Statute 18(3)]

CONTRACT OF SERVICE FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR

An	AGREEMENT	for	service	made	this	day		date	of
		Two	thousand.		between		(herein after	called	the
appoir	ntee) of the one pa	art and	the Natio	nal Institu	ate of Technology,	Andhra Pradesh incorpora	ated under the	e Natio	nal
Institu	te of Technology,	Scienc	e Education	n and Res	search Act, 2007 (29	of 2007).			

"WHEREAS in terms of sub-section (5) of section 17 of the National Institutes of Technology, Science Education and Research Act, 2007 (hereinafter called the Act) and sub-statute (3) of Statute18 (in case of NIT, Andhra Pradesh) (hereinafter called Statute), the Board of the Institute has approved the appointment of the appointee as the Deputy Director of the Institute on contract for a period of three years initially which may be extended by two times for one year each on the recommendation of the Board and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing, now these presents witness and the parties hereto respectively agree as follows:-

- [1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, and Statutes covering the Institute as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.
- [2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of three years extendable by two years on year to year basis with effect from (that is date of joining the post) provided that if the appointee on conclusion of the period of service mentioned above is below 65 years of age, his service shall continue till the 30th June of the academic year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.
- [3] The appointee shall serve the Institute as the whole time Deputy Director of the Institute with powers and duties provided in the Act and the Statutes and he shall report to the Director for discharge of his duties.
- [4] The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and shall be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act and the Statutes and any information obtained by the appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923, as amended from time to time.
- [5] During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs...... in the scale of Rs..... provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors and in addition the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.
- During his service under this contract, the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statute and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statute. In the event of the appointee being employer of any other National Institutes of Technology and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund -cum- Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statute. In case the appointee is the employee of the Institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the institutes as per the Statute.
- [7] Notwithstanding anything hereinbefore contained the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.
- [8] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.
- [9] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.
- [10] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.
- [11] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowance Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in public interest:

Provided that the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance in the scale provided for in the T. A. Rules of the institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the relevant rules of the Institute.

[12] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line and he shall also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

[13] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Central Government at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned:

Provided that the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months and the appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

- [14] The appointee shall be allowed the status of Professor of the Department of his specialization and take part in teaching and research in the said Department subject to his convenience.
- [15] In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of Technology Science Education and Research Act, 2007 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made thereunder for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairperson of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the

National Institute of Technology, Andhra Pradesh

by the Chairperson,

Board of Governors of the Institute

In the presence of

Signature of Witnesses with addresses

Signed and delivered by the said appointee

In the presence of Signature of witnesses with addresses

Deputy Director, NIT Andhra Pradesh.

SCHEDULE 'C'

[See Statute 19 (5)]

DEANSHIPS

The institute may have not more than six Deanships. There may be following Deanships in National Institute of Technology, Andhra Pradesh with the approval of the Board of Governors:

Dean Academic

Dean Planning and Development

Dean Student Welfare

Dean Faculty Welfare

Dean (Research and Consultancy)

Deanship is a functional position and not an administrative one and as such has to be discharged in its right spirit and the Dean shall be nominated by the Director only from amongst the Professors or Associate Professors, but should not be Head of the Department.

The Tenure of Deanship shall ordinarily be two years extendable by one more year, but Director with the approval of the Chairperson, Board of Governors may relieve any or all Dean before such period.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEANS

The Deans shall have the following duties and responsibilities, namely:-

1. Dean (Academic)

He/she will advice the Director in:

- (a) Admission and enrolment of students;
- (b) Finalisation of academic calendar, time-tables, registration of students for course work and examinations, class room arrangements and all other requirements for proper conduct of class work;
- (c) Conduct of class tests and co-coordinating the finalization of session's evaluations and for ensuring the timely declaration of results;
- (d) Supervision of the maintenance of up-to-date academic records of all categories of students;
- (e) Publication and distribution of the syllabi;

- (f) Organizing meeting of all the Institute level academic bodies;
- (g) Arranging the issue of all academic certificates, medals and prizes to the students;
- (h) To arrange for conduct of those examinations which are to be conducted by the Institute as stipulated in the Institute regulations.
- (i) To formulate policies for the conduct of research and steps to maintain suitable standard by implementing the decisions of the Board of Governors/Senate decisio.
- (j) To execute the policy of the Senate in the conduct of P.G., Ph.D. and other research programmes including the examination of thesis.
- (k) To co-ordinate for the conduct of Convocation.
- (l) All proposals to modify the teaching programmes shall be considered by Board of Academic Council, for which Dean (Academic) i.e., the Chairman and if approved will be sent to the Senate for formal approval.
- (m) To admit sponsored Early Faculty Induction Programme and Quality Improvement Programme candidates.
- (n) To suggest the Director to take suitable steps from time to time to strive for high academic standards.

2. Dean (Planning and Development)

He/she will advice the Director in the following:

- (a) Planning the expansion and diversification of institutional activities and preparation of all developmental proposals, to the extent up to submission of plans and estimates related to civil and electrical and other works.
- (b) Maintenance of necessary statistical data regarding plans and projects required for compilation of various reports periodically required to be sent to the Ministry of Human Resource Development and other agencies.
- (c) Monitoring the physical targets and utilisation of funds in respect of projects and consultancies and in the preparation of relevant papers for submission of progress reports.
- (d) Formulating proposals for new courses and in organising meetings of faculty members and external experts for this purpose in this regard;
- (e) Assist the Director in the supervision of the construction and the maintenance work of buildings, roads, water supply, sanitation, lawns and gardens, communication networks, water coolers, air conditioners, telephones, etc.
- (f) In the efforts to expand and monitor the activities of consultancy, testing and sponsored research of Institute and to ensure submission of progress reports;
- (g) In coordinating the formulation and conduct of non-formal and continuing education and extension programmes.
- (h) To arrange for the agenda and organization of the meeting for procurement of equipments related to projects and testing and consultancy.
- (i) Providing necessary data for the budget and new estimates and plans of the Building & and Works Committee to the Registrar.

3. Dean (Students Welfare)

- (a) He or she will advice the Director in organising the students' counseling.
- (b) He or she will be responsible for the publication of students' Magazines, News Bulletins, News Letters etc.
- (c) He or she will advice the Director in matters related to students; discipline and welfare.
- (d) He or she will assist the Director in matters related to the Students activities.
- (e) He or she will co-ordinate the Ncc, Nss, Games, Swimming Pool, Sports, Cultural and Co-curricular and Extra-curricular activities of the students.
- (f) He or she will keep a record of Alumni and correspond with them.
- (g) He or she will conduct the enquiries against students indulging in indiscipline.

- (h) He or she will correspond with Parents or Guardians of Students about their progress and individual problems or welfare.
- (i) Co-ordinate co-curricular activities (technical festivals, quizzes etc.) for the students.

4. Dean (Faculty welfare)

He or she will advice the Director in matters related to-

- (a) Deputation of faculty to various Institutions under Quality Improvement Programme under rules applicable to them.
- (b) Advice the Director regarding deputation of the faculty members to various conferences, seminars, short-term courses, training programmes, foreign teaching or training assignments, etc.
- (c) The Committee meetings of the evaluation of papers submitted or to be submitted to various Conferences or Seminars by the faculty members.
- (d) Assist the Director in organising training programmes for faculty.
- (e) Assist the Director in maintaining discipline and work ethos among various departments and between faculty members.
- (f) Will assist the Director in maintaining the high academic standards and achieving academic excellence in the Institution.
- (g) Exercise supervision over faculty discipline, integrity and commitment.

5. Dean (Research and Consultancy)

He or she will advice the Director in matters related to -

- (a) Framing of rules for industrial sponsored research and consultancy.
- (b) Creation and maintenance of database regarding faculty expertise.
- (c) Facilitate through his or her office faculty in procuring equipments necessary to conduct research/consultancy work, recruitment of project staff.
- (d) Provide guidance for submitting proposals to funding agencies such as Department of Science and Technology, Bhabha Atomic Research Centre, Board of Research in Nuclear Sciences, Indian Space Research Organisation, Defense Research and Development Organisation, Aeronautics Research and Development Board, Ministry of Information Technology, etc.

SCHEDULE 'D'

[See Statute 24(vii)]

FORWARDING OF APPLICATIONS FOR EMPLOYMENT ELSEWHERE

Applications for employment shall be forwarded only as per the norms approved by the Board of Governors:

The following norms shall be observed regular applications of employees for jobs in Government or Private Sector or elsewhere:-

1. General Principles:

- (i). A permanent employee, having good promotion prospects, is under a normal obligation to devote his energies whole-heartedly to the duties of his post and it shall not be unjust if his application for other employment is withheld and not forwarded.
- (ii). Application of a temporary employee should not be withheld unless there are compelling grounds to be recorded and communicated to such temporary employee. Application from a temporary employee, who may have good prospects of being made permanent in due course, should be dealt with on merits.
- (iii). Employees who have been given some technical training at Government or Institute expense, should continue to serve the Institute at least for the bond period and withholding of application in such a case is justifiable. Board may decide the policy in such cases.

- (iv). Where an employee cannot be spared without serious detriment to important work in hand, his application can be withheld.
- 2. Application for posts advertised by Union Public Service Commission

Institute employees can apply directly to posts advertised by Union Public Service Commission but should keep the Head of the Department and Director informed. Subsequently, he should seek the permission for such appointment, but before appearing for the interview.

- 3. Posts in other National Institutes of Technology or Central Universities or Autonomous Organisations and other comparable Institutions of Higher Education:
 - (a) The application from a permanent employee should accompany with an undertaking that he will either join back the National Institute of Technology, Andhra Pradesh or resign from post held by him after three years.
 - (b) Temporary employee should give an undertaking to resign in the event of his selection and acceptance of the new appointment.

Foreign assignments against open advertisements:

- (a) The employee can apply with prior permission of the Chairperson, Board of Governors to be confirmed by the Board of Governors.
- (b) If the time is short, an advance copy can be sent to the concerned agency with a copy to the Chairperson, Board of Governors for approval through proper channel.
- (c) Such employee shall not be considered as an official nominee of National Institute of Technology, Andhra Pradesh.

Posts not Advertised or Circulated.

The application shall not be forwarded.

Registration with Employment Exchange.

Temporary employees can register with permission, but should resign when selected.

Permanent employees can register:

- (a) only for higher posts under the Government or Public Sector Undertaking or Autonomous Body,
- (b) on production of a No Objection Certificate, from the National Institute of Technology, Andhra Pradesh and
- (c) an undertaking that he will after the completion of three years of joining the new post either rejoin to the National Institute of Technology or resign.
- (d) when an employee rejoins his parent office, he will not be granted a "no objection certificate" for a period of three years to register his name with the Employment Exchange again.

Employee under Suspension or Charge Sheeted.

No application should be forwarded if the employee is under suspension or a disciplinary proceedings is pending against the employee or a charge sheet has been issued/filed in the court or sanction for his/her prosecution has been accorded.

Employees whose conduct is under Investigation.

An application of an employee whose conduct is under investigation may be forwarded with brief comments on the nature of allegations and with a note that he would not be released if the employee is placed under suspension or a disciplinary proceedings is pending against the employee or a charge sheet is issued / filed in the court or sanction for his/her prosecution is accorded before his selection.

"Schedule 'E' [See Statute 23 (5) (a)]

Qualification and other terms and conditions of appointment of Academic Staff

Sl.No.	Designation, Pay Band and Academic Grade Pay	Essential Qualification	Essential Requirements	Cumulative Essential Credit Points
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.6000	Ph.D.	NIL	NIL
2.	*Assistant Professor (On contract) Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.7000	Ph.D.	one year post Ph.D. experience of Teaching and Research in Institution of repute or Industry	10
3.	*Assistant Professor Pay Band-3 with Grade Pay of Rs.8000 with a minimum pay of Rs.30000	Ph.D.	three years after Ph.D. or six years total teaching and research experience in reputed academic Institute / Research and Development Labs or relevant industry.	20
4.	Associate Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.9500 with a minimum pay of Rs.42800	Ph.D.	six years after Ph.D. of which at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000; Or nine years total working experience, of which three years should be after Ph.D., with at least three years at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000.	50
5.	Professor Pay Band-4 with Grade Pay of Rs.10500 with minimum pay of Rs.48000	Ph.D.	ten years after Ph.D. or thirteen years total working experience, out of which seven years should be after Ph.D. At least three years at the level of Associate professor with Academic Grade Pay of Rs.9500 or four years at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9000 or combination of Rs.9000 and Rs.9500 or equivalent in an Institution of repute or Research & Development lab or relevant industry.	80
6.	Professor (Higher Administrative Grade Scale) Rs.67000–79000	Ph.D.	Six years as Professor with Academic Grade Pay of Rs.10000 or Rs.10500 or a combination of Rs.10000 and Rs.10500 in an Institute of National Importance.	150

Note 1:

- (1) Any change in the grade pay will be through open advertisement and on recommendation of duly constituted selection committee, except where specifically exempted in these rules.
- (2) All new entrants shall have Ph.D. in the relevant or equivalent discipline and shall have first class in the preceding degrees.
- (3) For existing faculty members who completed their Ph.D. along-with their normal teaching load of Institute or quality improvement programme, the enrolment period of Ph.D. will be counted as teaching experience.

- (4) Contribution to Institute Administration shall be recommended by concerned Head or Chairman and approved by the Director. Contribution to departmental Administration shall be recommended by concerned Head and approved by the Director.
- (5) For the departments which are not having any vacancy, movement in higher Academic Grade Pay or cadre shall be carried out as per specified selection process but it will be restricted to only for serving faculty members of the respective departments.
- (6) The permanent faculty members who have put in more than ten years experience, but have not acquired Ph.D. qualification as on the date of these notification shall be mapped into four-tier flexible system as one time measure as per following norms:
 - (a) Permanent faculty with age fifty or above:
 - (i) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs.7000 shall be mapped at the level of Assistant Professor with Academic Grade Pay of Rs.8000, provided they have at least 10 credit points in their lifetime.
 - (ii) The Assistant Professors with Academic Grade Pay of Rs.8000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime.
 - (iii) The Associate Professors with Academic Grade Pay of Rs.9000 shall be mapped at the level of Associate Professor with Academic Grade Pay of Rs.9500, provided they have at least 25 credit points in their lifetime:
 - Provided, they have been found suitable through a Selection Committee duly constituted under the Statute.
 - (b) Permanent faculty members less than fifty years of age shall be sponsored for Ph.D. in any of the Indian Institutes of Technology or National Institutes of Technology duly provided a facility to take study leave of three-years from their respective National Institute of Technology and on completion of the Ph.D., they shall compete to get into the four tier system as per the new recruitment rules.
- (7) For faculty in the department of Architecture following shall be essential qualification without insisting on credit point requirements at Assistant Professor level:
 - M.Arch. or M.Plan. with one year professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs.6000;
 - (ii) M.Arch. or M.Plan. with two years of professional experience: Assistant Professor at Academic Grade Pay of Rs.7000;
 - (iii) For higher cadres the educational qualifications and credit point requirement shall remain same as given in the table for Engineering and Sciences.

Note 2: Credit Point System

The following shall be the credit point system:

S.No.	Activity	Credits points
1.	One external Sponsored Research and Development Projects completed or ongoing or Patent granted	8 credit points per project or 8 credit points per patent as inventor (in case of more than one person in a Project, the Principal Investigator gets 5 credit points and the rest to the divided equally among other members)
2.	Consultancy projects	2 credit points @ Rs.5 lakhs of consultancy, subject to maximum of 10 Credit points
3.	Ph.D. completed (including thesis submitted cases)	8 credit points per Ph.D. student (in case there are more than one supervisor, then the Guide (1 st Supervisor) gets 5 credit points per student and the rest to be divided equally among other supervisor
4.	One Journal papers in Science Citation Index or Scopus (Paid Journals not allowed)	4 point per paper since the last promotion. First author or Main supervisor will get 2 point and rest will be divided among others.
5.	One Conference paper indexed in Science Citation Index or Scopus or Web of science Conference or any internationally renowned conference	1 credit points per paper up to a maximum of 10 credit points. First author or Main Supervisor will get 0.6 and rest will be divided among the rest.

S.No.	Activity	Credits points
6.	Head of the Department, Dean, Chief Warden , Professor Incharge (Training and Placement), Advisor (Estate), Chief Vigilance Officer, PI (Exam), TEQIP (Coordinator)	2 points per semester up to a max of 16 credits points since the last promotion.
7.	Warden, Assistant wardens, Associate Dean, Chairman or Convener institute academic committees, Faculty In charge Computer Center or Information and Technology Services or Library or Admission or student activities and other Institutional activities	1 credit point per semester up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
8.	Chairman and Convener of different standing committee and special committee (Ex officio status will not be considered). Faculty incharges (Each for one year duration) of different Units or equivalent	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
9.	Departmental activities identified by Head of the Department like lab in charges, or department level committee for a minimum period of one year.	0.5 credit point per Semesters up to a maximum of 3 credits points since the last promotion.
10.	Workshop or Faculty Development Program or short term courses of min 05 working days duration offered as coordinator or convener	2 credit points per course up to a maximum of 8 credits points since the last promotion.
11.	For conducting national programs like Global Initiative of Academic Networks etc. as course coordinator	
	Program of two weeks duration	2 credit points per course up to a maximum of 4 credit points since the last promotion.
	Program of one week duration	1 credit point per course up to a maximum of 2 credit points since the last promotion.
12.	National or International conference organized as Chairman or Secretary	3 credit points per program up a maximum of 6 credits points since the last promotion.
13.	Length of service over and above the relevant minimum teaching experience required for a given cadre	2 credit points per semester with maximum of 10 credit points since the last promotion.
14.	Establishment of New Lab(s)	4 credit points since the last promotion.
15.	Theory Teaching of over and above 6 credit hrs. course	1 credit point or credit hrs. up to a maximum of 6 credit points since the last promotion.
16.	Post Graduate Dissertation guided	0.5 credit point per project to a maximum of 10 points since the last promotion.
17.	Under Graduate Projects	0.25 credit point per project up to a maximum of 4 points since the last promotion.
18.	Text or Reference Books published on relevant subjects from reputed international publishers	6 credit points per book up to a maximum of 18 points since the last promotion.

S.No.	Activity	Credits points			
19.	Text or Reference book published on relevant subjects from reputed national publishers or book chapters in the books published by reputed international publishers	2 credit points per unit up to a maximum of 6 points since the last promotion.			
20.	Significant outreach Institute out activities	1 credit point per activity up to a maximum of 4 credit points since the last promotion.			
21.	Fellow IEEE, FNA, FNAE, FNASc	10 credit points			
22.	Placement percentage (only for the placement cell officers or Faculty incharge of Placement)				
	Above 85%	4 credit points per year upto a maximum of 20 points since the last promotion.			
	75% - 84% (% to be based on total number of students passing out and single job offer)	2 credit points per year upto a maximum of 10 points since the last promotion.			

[No. F. 31-8/2016 – TS.III]

R. SUBRAHMANYAM, Adl. Secy.